विधान प्रबोधनी

मासिक अंक–2 अप्रील–2026

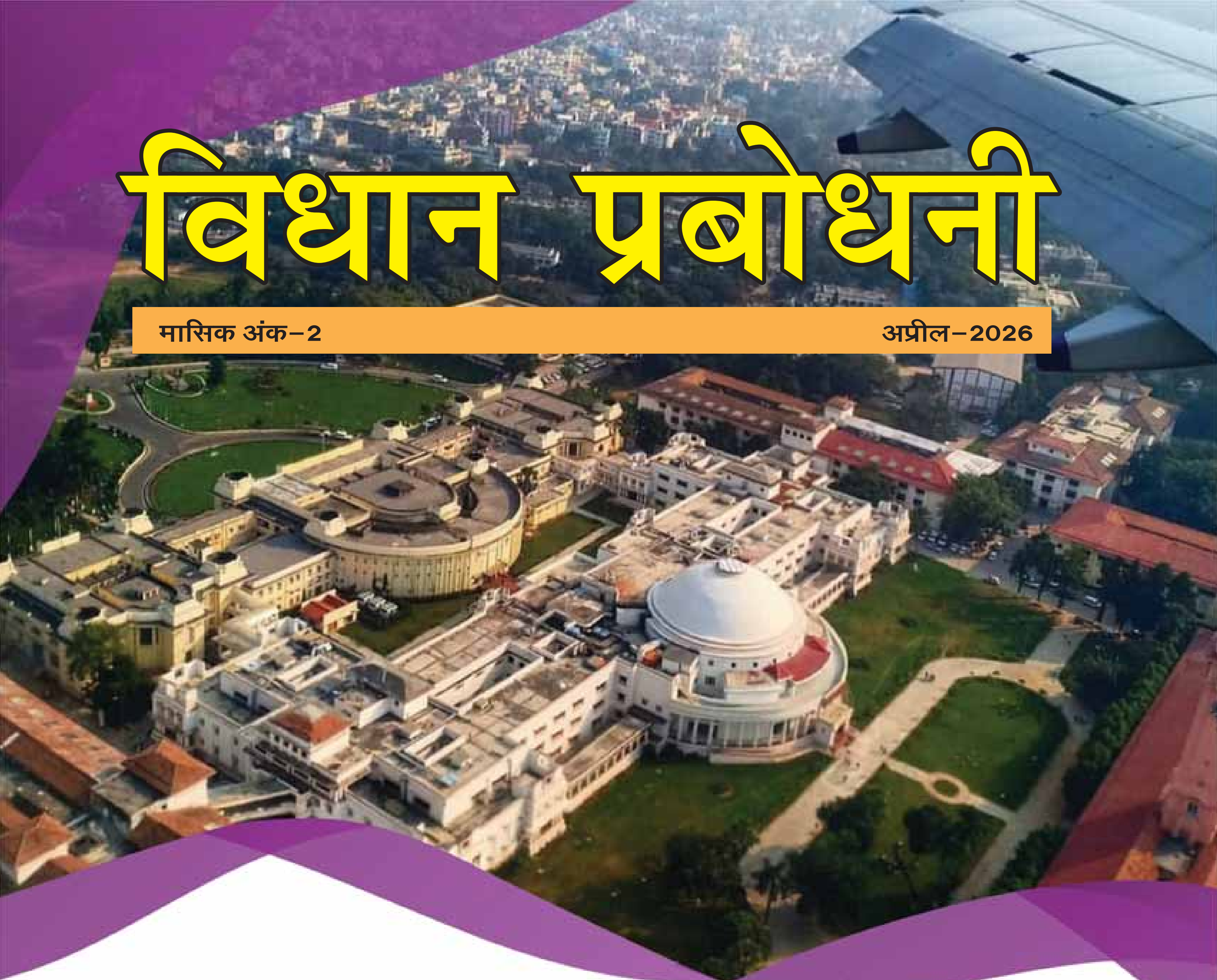

- सरकार का गठन एवं विश्वास मत प्रस्ताव
- विधायी विमर्श : बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2026
- राज्य सभा चुनाव, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

बिहार लोक भवन में माननीय राज्यपाल, बिहार से शिष्टाचार भेंट करते हुए
माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

24 अप्रील, 2026 को आहूत सत्र से पूर्व, माननीय अध्यक्ष एवं माननीय उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा से
शिष्टाचार मुलाकात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

आमुख

डॉ० प्रेम कुमार
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा

विधायिका में आधी आबादी की भागीदारी

जनभावनाओं, जनआकांक्षाओं और जनहित के प्रतिनिधि के रूप में विधान सभा लोकतंत्र की सशक्त एवं आधारभूत संस्था है। यह शासन और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की तरह उत्तरदायी एवं पारदर्शी शासन सुनिश्चित करती है।

समय के साथ–साथ विधान सभा एवं अन्य विधायी निकायों की भूमिका और अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक हुई है। ई–गवर्नेंस, डिजिटल विधायिका और युवा संसद जैसे नवाचार लोकतंत्र को मजबूत और उत्तरदायी बना रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुदृढ़ता इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज की आधी आबादी की इसमें कितनी भागीदारी है। इस संदर्भ में विधायिका में महिलाओं की सहभागिता केवल प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्त लोकतंत्र का आधार है। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि हम विधायिका में महिलाओं की भागीदारी को केवल संख्या के आधार पर न आंके, बल्कि उनकी नेतृत्व क्षमता, नीति–निर्माण और विचारों को भी समान महत्व दें। बिहार ने पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर एक सशक्त उदाहरण पेश किया है, जिसका सकारात्मक परिणाम राज्य की विधायिका में महिलाओं की निरंतर बढ़ती भागीदारी है।

वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर अनेक बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, चाहे वह आर्थिक अस्थिरता हो या अंतरराष्ट्रीय भू–राजनीतिक टकराव, जिससे हम सब भी अछूते नहीं रह सकते। ऐसे में विधायिका की भूमिका और भी बढ़ जाती है। हमें ऐसी नीतियाँ एवं विधान बनाने होंगे जो न केवल राज्य की आवश्यकताओं को साधे बल्कि वैश्विक परिवर्त्तनों के अनुरूप भी हो।

सशक्त विधायिका, महिलाओं की भागीदारी, वैश्विक चुनौतियों के प्रति सजगता, लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिबद्धता और सांस्कृतिक संरक्षण, इन सभी के समन्वय से हम लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत एवं जनोन्मुखी बना सकते हैं। यही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी एवं कर्त्तव्य भी है। विधान प्रबोधनी के इस अंक में इन सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

अंत में इस पत्रिका के संपादक मंडल एवं रचनाकारों तथा प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तियों को साधुवाद देता हूँ, जिनके समर्पण एवं परिश्रम से यह मासिक अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित हो रहा है।

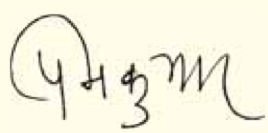

(डॉ० प्रेम कुमार)
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा

सम्पादकीय

'जियो–पॉलिटिक्स' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वीडिश राजनीतिक विचारक रूडोल्फ केयेलन ने 20वीं सदी की शुरूआत में किया था। यह विश्व राजनीति को समझने का एक माध्यम है जो यह बताता है कि किसी देश की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं उसकी विदेश नीति एवं वैश्विक संबंधों को कैसे प्रभावित करती है। असल में भू–राजनीतिक संघर्ष संसाधनों पर कब्जा, क्षेत्रीय नियंत्रण या सामरिक महत्व जैसे विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता रहा है। उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2003 में अमेरिका एवं उसके सहयोगियों द्वारा ईराक पर हमला कर तेल के कुएँ पर कब्जा एवं सैन्य नियंत्रण। मध्यपूर्व की तेल राजनीति, दक्षिण चीन सागर के विवाद हों या चार वर्षों से ज्यादा समय से चल रहा रूस–यूक्रेन युद्ध या वर्तमान का अमेरिका – इजराइल के साथ ईरान का युद्ध। दरअसल जियो–पॉलिटिक्स का जियो इकोनॉमी के साथ गहरा संबंध रहा है।

भौगोलिक कारकों को लेकर देशों के बीच होने वाले तनाव जब शांति वार्ता या कूटनीति की परिधि को पार कर लेता है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ जब मौन धारण कर लेती हैं, तब पूरा विश्व युद्ध की पीड़ा को झेलने के लिए विवश हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाएं भी आज इन समस्याओं के समाधान में सक्षम होती नहीं दिख रही है और न ही अंतरराष्ट्रीय कानून इस दिशा में कोई सार्थक पहल कर पा रहे हैं।

जंग का परिणाम चाहे जो हो लेकिन उसका नुकसान सारे विश्व को भुगतना पड़ता है और इस नुकसान की भरपाई में सालों–साल लग जाते हैं। जियोपॉलिटिकल उथल–पुथल ने आज पूरी दुनिया की गति को रोक–सा दिया है।

तेल और गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति बाधित होने से पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से गुजर रही है। यह स्थिति भारत जैसे उभरते राष्ट्र के लिए चिंताजनक तो है ही, लेकिन हमें इससे भविष्य के लिए सचेत होने की भी आवश्यकता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ती है, जिससे आम नागरिकों की जीवनशैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा आर्थिक विकास दर की गति धीमी हो जाती है।

हमें संसाधनों की कमी को इरादों की मजबूत चट्टानों से मात देनी होगी। ऊर्जा संकट के समाधान के लिए आयात पर निर्भरता कम करने के साथ ही उसके वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करना होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा जैसे स्रोत जो दीर्घकालिक एवं पर्यावरण के अनुकूल हैं, इसे और अधिक गति देने की आवश्यकता है। साथ ही हमें अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने होंगे ताकि हमारी सप्लाई चेन बनी रहे।

जहाँ एक ओर ऊर्जा संकट की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर युद्ध की आशंका को रोकना भी अत्यंत आवश्यक है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह विनाश और अस्थिरता को जन्म देता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर संवाद, कूटनीति और सहयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

भारत की विदेश नीति सदैव 'गुटनिरपेक्षता' के सिद्धांत पर आधारित रही है, जो हमेशा से शांति, सह–अस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा दिया है। वर्तमान परिस्थिति में भारत की यह नीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ वह एक मध्यस्थ और संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य कर सकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि वैश्विक भू–राजनीतिक तनाव और ऊर्जा संकट आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल एक देश के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए वैश्विक सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता है। भारत को चाहिए कि जहाँ वह एक ओर अपनी ऊर्जा नीतियों को सुदृढ़ करे, वहीं दूसरी ओर वह विश्व शांति के प्रयासों में अग्रणी भूमिका भी निभाए।

'विधान प्रबोधनी' पत्रिका के इस अंक में वैश्विक तनाव को नियंत्रित करने में विधायी निकायों की भूमिका, विधायिका में महिलाओं की भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ–साथ बिहार की वर्तमान राजनीतिक घटनाओं, महत्वपूर्ण विधायी विमर्शों तथा बिहार से राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण अध्याय को रेखांकित किया गया है।

बिहार की सांस्कृतिक चेतना की आत्मा उसकी लोक–भाषाओं और लोक–संस्कृति में बसती है। इस अंक में मगही भाषा एवं संस्कृति पर विशेष प्रकाश डाला गया है। इसी क्रम में मुंगेर 'जिला विशेष' इस अंक को विशिष्टता प्रदान करता है।

'पर्वत–पुरूष' दशरथ मांझी का संकल्प एवं उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति की गाथा इस अंक की प्रेरक चेतना है।

विधान प्रबोधनी के इस अंक को लोकतांत्रिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और जनसरोकारों के प्रति चिंतन का दस्तावेज बनाने का एक विनम्र प्रयास है।

आशा है यह अंक पाठकों, जनप्रतिनिधियों और विचारकों के बीच रचनात्मक संवाद को नया आयाम देगा।

(राजीव रंजन कुमार)
प्रशाखा पदाधिकारी
बिहार विधान सभा

विधान प्रबोधनी

मासिक अंक-2 : अप्रील-2026

मुख्य संरक्षक
डॉ० प्रेम कुमार
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

संरक्षक
नरेन्द्र नारायण यादव
उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा

मार्गदर्शक
पूनम सिन्हा
प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा

वरिष्ठ संपादक
राम कुमार यादव
उप सचिव, बिहार विधान सभा
शिव शंकर प्रसाद
अवर सचिव, बिहार विधान सभा

संपादक
राजीव रंजन कुमार
प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा

संयुक्त संपादक
प्रज्ञाग्नि
प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा

संपादन सलाहकार
नन्द किशोर सिंह
संदीप कुमार
रणविजय रौशन

संपादन संयोजक
राजीव रंजन
(अध्यक्षीय कार्यालय)
प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा

कला संयोजन : निलेश कुमार
डी.ई.ओ., बिहार विधान सभा
छायाकार : हरेन्द्र कुमार पाल
ललित नारायण पासवान
अभिजीत राज

विशेष सहयोग
प्रदीप कुमार राय
अनिकेत राज

संपादकीय कार्यालय
पत्रिका प्रकाशन शाखा, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना
ई-मेल : patrikabvs2021@gmail.com

©प्रकाशक, बिहार विधान सभा, पटना

विधान प्रबोधनी पत्रिका के प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त किये गये विचार लेखकों/संस्थाओं के स्वयं के हैं। बिहार विधान सभा सचिवालय की इसमें सहमति आवश्यक नहीं है।

मुद्रक : यूनाईटेड प्रिंटर्स एण्ड सर्विस प्रोवाइडर
संदलपुर रोड, संदलपुर अखाड़ा, पटना-6

विषय सूची

क्र.स.	विषय	रचनाकार	पृ. सं.
1.	सरकार का गठन एवं विश्वास मत प्रस्ताव	राजीव रंजन कुमार	5–6
2.	विधायी विमर्श ● बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान –विधेयक, 2026	प्रज्ञाग्नि	7–10
3.	राज्य सभा निर्वाचन, 2026	धनंजय कुमार	11–13
4.	युवा संसद	पंकज कुमार/धनंजय कुमार	14–17
5.	संसदीय कामकाज की बदलती संस्कृति	साभार : दैनिक जागरण हिन्दी दैनिक	18–19
6.	आलेख ● ई–गवर्नेंस और डिजिटल विधायिका : पारदर्शिता की दिशा में एक कदम	पी.सी. मोदी महासचिव, राज्य सभा	20–21
	● विधायिका में महिलाओं की भागीदारी : लोकतंत्र की पूर्णता की ओर एक अनिवार्य कदम	शीला कुमारी मंत्री, बिहार सरकार	22–24
	● विधान सभा क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों एवं उन्नति के उपाय	नीतीश मिश्रा मंत्री, बिहार सरकार	25–26
	● ई–गवर्नेंस और डिजिटल विधायिका : पारदर्शिता की दिशा में बढ़ता कदम	प्रदीप कुमार दुबे प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, विधान सभा	27–28
	● वैश्विक संकट की स्थिति में विधान सभा की भूमिका : खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और कृषि नीतियों का विश्लेषण	आनन्द मिश्र सदस्य बिहार विधान सभा	29–30
7.	बिहार दिवस	रंजय कुमार	31–33
8.	व्यक्ति विशेष पर्वत पुरूष : दशरथ मांझी	राजीव रंजन कुमार	34–35
9.	जिला विशेष : योग नगरी मुंगेर	प्रज्ञाग्नि	36–40
10.	मगही महोत्सव	रणविजय रौशन	41–43
11.	समाचार पत्रों की नजर से....	आलोक कुमार सिंह	44–45
12.	कविता	विलोक रंजन नंद किशोर सिंह	46
13.	विविध कार्यक्रम	राजीव रंजन	47–50
14.	झलक	प्रभात कुमार	51–54
15.	फोटो गैलरी	केशव किशोर उर्फ राजा पाण्डेय	55–59
16.	श्रद्धांजलि	....	60

सरकार का गठन एवं विश्वास मत प्रस्ताव

बिहार की राजनीति सदैव गतिशील रही है, जहाँ समय–समय पर महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं ने लोकतांत्रिक परंपराओं को नई दिशा दी है। हाल के राजनीतिक परिदृश्य में श्री नीतीश कुमार का राज्यसभा का सदस्य बनना, उसके उपरांत श्री सम्राट चौधरी का एन.डी.ए. विधायक दल के नेता चुने जाने के पश्चात मुख्यमंत्री पद ग्रहण करना बिहार की राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। यह घटनाक्रम न केवल सत्ता हस्तांतरण की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को रेखांकित करता है, बल्कि संसदीय व्यवस्था की परिपक्वता को भी प्रदर्शित करता है।

श्री नीतीश कुमार, जिन्होंने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व किया, अब राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका ग्रहण करते हुए राज्यसभा के सदस्य बने। इस प्रकार श्री नीतीश कुमार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के चारों प्रमुख सदनों में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व कर विशिष्ट एवं गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। दिनांक 14 अप्रील, 2026 को अंतिम कैबिनेट बैठक के उपरांत मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया गया। तत्पश्चात् मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम श्री सम्राट चौधरी, भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता चुने गये। फिर बिहार विधान सभा के सेन्ट्रल हॉल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) के घटक दलों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बिहार की राजनीतिक दिशा और नए नेतृत्व पर विचार–विमर्श हुआ। सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी को एन.डी.ए. विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक सहमति और गठबंधन राजनीति के संतुलन का परिचायक रही।

विधायक दल के नेता चुने जाने के उपरांत एन.डी.ए. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर सरकार गठन का दावा प्रस्तुत किया। राज्यपाल के समक्ष बहुमत का पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें सहयोगी दलों

के विधायकों का समर्थन स्पष्ट रूप से अंकित था। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत माननीय राज्यपाल ने श्री सम्राट चौधरी को सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया।

बुधवार दिनांक 15 अप्रील, 2026 को श्री सम्राट चौधरी को माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन द्वारा संविधान के अनुच्छेद– 164(3) के तहत मुख्यमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी गयी। उनके साथ श्री विजय कुमार चौधरी और श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने भी मंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। ये दोनों नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाये गये हैं। इस प्रकार नई सरकार अस्तित्व में आई। संसदीय परंपरा के अनुसार नई सरकार को विधान सभा के पटल पर बहुमत सिद्ध करना था। इस हेतु अठारहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र का उपवेशन सभा वेश्म, पटना में दिनांक– 24 अप्रील, 2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में आहूत हुआ।

दिनांक 24 अप्रील, 2026 को बिहार विधान सभा की कार्यवाही 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम राष्ट्रगान के पश्चात् माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा सदन में वर्तमान मंत्रिपरिषद के वर्तमान विश्वास प्रस्ताव को लिया गया।

माननीय मुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी ने प्रस्ताव किया कि –

''यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है।''

माननीय अध्यक्ष ने सभी दल के नेताओं से अपने विचार रखने हेतु दलों की संख्या के आधार पर समय का आवंटन करते हुए कुल 90 मिनट का समय निर्धारित किया।

सभी दलों के नेताओं द्वारा विश्वास मत के संबंध में अपने पक्ष रखे गये। सभी नेताओं के पक्षों को सुनने के पश्चात माननीय अध्यक्ष द्वारा मूल प्रस्ताव को रखा गया –

प्रश्न यह है कि –

''यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है।''

[पक्ष में बहुमत सिद्ध होने के पश्चात यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।]

विश्वास मत प्राप्त कर सरकार ने अपनी वैधानिकता और स्थायित्व को स्थापित किया। सम्पूर्ण प्रक्रिया लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती का उदाहरण रही। मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जाना, विधायक दल की बैठक, एन.डी.ए. गठबंधन द्वारा विधायक दल के नेता का चयन, राज्यपाल द्वारा आमंत्रण, शपथ ग्रहण और विश्वास मत – ये सभी चरण भारतीय संसदीय लोकतंत्र की सुव्यवस्थित परंपरा को प्रतिबिंबित करते हैं।

श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार ने नई राजनीतिक ऊर्जा और विकास की नई अपेक्षाओं के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया।

यह नेतृत्व परिवर्तन बिहार की लोकतांत्रिक चेतना, गठबंधन राजनीति की परिपक्वता और संवैधानिक प्रक्रियाओं की गरिमा का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा, जिसने यह सिद्ध किया कि भारत की लोकतांत्रित व्यवस्था कितनी परिपक्व एवं गहरी है।

राजीव रंजन कुमार
प्रशाखा पदाधिकारी

बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2026

वस्तुतः किसी भी देश अथवा राज्य के विकास को मापने के सभी मानक सीधे तौर पर शिक्षा से प्रभावित होते हैं चाहे वह आर्थिक विकास सूचकांक हो अथवा मानव विकास सूचकांक या हैप्पीनेस इंडेक्स। इस दृष्टि से राज्य के नीति निर्माण में शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियों का सतत मूल्यांकन एवं विनियमन अत्यावश्यक है। सन 1991 के आर्थिक उदारीकरण के उपरांत देश में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया एवं शिक्षा भी इससे अछूती नही रहा। निजी शैक्षणिक संस्थान एक तरफ़ जहाँ शैक्षणिक गुणवत्ता, बेहतर आधारभूत संरचना एवं शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देते हैं वहीं दूसरी ओर शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकता को गरीब मेधावी छात्रों की पहुँच से दूर कर शिक्षण कार्य को मुनाफाखोरी का जरिया भी बना सकते हैं। अतः निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले नामांकन एवं शिक्षण शुल्क निर्धारण के लिए राज्य सरकार द्वारा एक क़ानून बनाना आवश्यक है ताकि ऐसे शुल्क उचित, शोषण रहित और पारदर्शी हों, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय स्थिरता और स्वायत्तता की भी रक्षा हो। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कुछ वैधानिक ढांचे निरूपित किए हैं जो निम्नरूपेण है :–

टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (2002)

इस वाद में,उच्चतम न्यायालय के 11 जजों की संविधान पीठ द्वारा 6:5 के बहुमत से यह फैसला दिया गया कि निजी शैक्षिक संस्थानों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण एवं दिन–प्रतिदिन के प्रशासन में सामान्यतः स्वायत्तता प्राप्त है एवं राज्य द्वारा केवल कुप्रशासन को रोकने, निष्पक्षता सुनिश्चित करने अथवा शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से विनियमन किया जा सकता है। यह फैसला संस्थागत स्वायत्तता एवं राज्य विनियमन के बीच संतुलन स्थापित करता है।

इस्लामिक शिक्षा अकादमी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (2003)

इस वाद में, उच्चतम न्यायालय ने टी.एम.ए. पाई के फ़ैसले को स्पष्ट किया। न्यायालय ने माना कि निजी संस्थानों को स्वायत्तता प्राप्त है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। न्यायालय ने राज्यों को शुल्क विनियमन एवं प्रवेश प्रक्रियाओं की निगरानी हेतु समितियां गठित करने का निर्देश दिया। ये समितियां मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकती है एवं प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती हैं।

पी.ए. ईनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2005)

इस वाद में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य निजी ग़ैर–सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं को आरक्षण लागू करने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। यह बात विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू होती है। इस फ़ैसले के बाद 93 वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया जिससे अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी निजी संस्थानों में आरक्षण की अनुमति मिल गई।

इस प्रकार शिक्षा की मुनाफाखोरी और व्यावसायीकरण को रोकने तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर छात्रों और अभिभावकों के हितों की रक्षा के साथ–साथ संविधान के अनुच्छेद 19(1)(G) के तहत व्यवसाय की स्वतंत्रता जिसमें शैक्षणिक संस्थान खोलना भी शामिल है तथा अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अथवा भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्राप्त स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य में पूर्व से तदर्थ आधार पर नामांकन पर्यवेक्षण समिति तथा शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति कार्यरत थी परंतु इन समितियों की शक्तियों एवं दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 18 वीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के द्वारा निजी व्यावसायिक संस्थानों में नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ एक नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया गया जिसमें कुल 9 सदस्य होंगे जिनके पदनाम एवं योग्यता निम्नवत् होंगे :–

नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति

अध्यक्ष
प्रख्यात शिक्षाविद/
सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी
(प्रधान सचिव स्तर से अन्यून)

सदस्य
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र
के विशेषज्ञ

सदस्य
व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ
(चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर)

सदस्य
प्रतिष्ठित स्वतंत्र व्यक्ति
(स्वास्थ्य विभाग द्वारा
नामित/सहयोजित)

पदेन सदस्य
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के
अपर मुख्य सचिव/सचिव

पदेन सदस्य
स्वास्थ्य विभाग के
अपर मुख्य सचिव/
प्रधान सचिव/सचिव

पदेन सदस्य
उच्च शिक्षा विभाग के
अपर मुख्य सचिव/
प्रधान सचिव/सचिव

सदस्य
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित)

सदस्य सचिव
स्वास्थ्य विभाग के
संयुक्त सचिव से
अन्यून पदाधिकारी

इस समिति में पदेन सदस्यों को छोड़कर अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर सरकार द्वारा की जाएगी जिनका कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष का होगा जिसे दो वर्ष अथवा 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया जा सकता है। सहायता प्राप्त या ग़ैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों से संबद्ध कोई भी व्यक्ति इस समिति के सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे।

नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति की शक्तियां

- समिति द्वारा निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क एवं उससे संबंधित लेखा दस्तावेजों की माँग की जा सकती है।
- समिति द्वारा यह सत्यापित किया जा सकता है कि क्या संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क उचित है
- समिति या तो संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क का अनुमोदन कर सकता है अथवा कोई अन्य शुल्क संरचना निर्धारित कर सकता है। प्रस्तावित शुल्क के अनुमोदन अथवा संशोधन की सूचना संबंधित विभाग द्वारा उक्त निजी शैक्षणिक संस्थान को दे दी जाएगी।
- समिति द्वारा इस प्रकार निर्धारित शुल्क सामान्यतः अगले 3 वर्षों के लिए यथावत रहेगा। इस प्रकार निर्धारित शुल्क किसी छात्र के व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक अपरिवर्तित रहेगा।
- किसी भी शैक्षणिक वर्ष में एक छात्र से एक बार में एक सत्र से अधिक शुल्क एकत्र नहीं किया जाएगा।

निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान से अभिप्रेत है वैसे व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान जो केन्द्र/राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा संचालित और प्रबंधित नहीं हों। इसमें सहायता प्राप्त एवं गैर–सहायता प्राप्त दोनों प्रकार के महाविद्यालय या संस्था शामिल है।

शुल्क निर्धारण का तरीका

नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किसी निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण हेतु निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखा जाएगा :–

- व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था का स्थान
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति
- उपलब्ध बुनियादी ढांचा
- वेतन, प्रशासन और रख–रखाव पर व्यय
- महाविद्यालय या संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष
- ऐसे अन्य कारक, जो समिति विनिश्चित करे
- संस्था में संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या और प्रकार ताकि शुल्क का भार विभिन्न पाठ्यक्रमों के बीच समान और तर्कसंगत रूप से वितरित हो।

समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले शुल्क में निम्नलिखित प्रकार के शुल्क हो सकते हैं :–

नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति द्वारा मुख्यतः किसी संस्थान के शिक्षण शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, एक बार दिए जाने वाली सतर्कता राशि, परीक्षा शुल्क अथवा छात्रावास शुल्क का विनियमन किया जा सकता है परंतु यदि राज्य सरकार अथवा किसी वैधानिक प्राधिकार द्वारा किसी अन्य शुल्क को भी विनियमित करने का निदेश दिया जाए तो उन शुल्कों को भी विनियमित किया जा सकता है।

प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन शुल्क) का पूर्ण निषेध

प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन शुल्क) से तात्पर्य है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राशि, चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाए अथवा किसी भी रूप में वसूल किया जाये, जो नियम के द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में यह स्पष्ट किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा कैपिटेशन शुल्क लेना अवैध, अनैतिक और शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय और सिद्धांत निम्न रूप से हैं :–

- मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक (1992) – सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कैपिटेशन शुल्क जीवन के अधिकार और कानून के समान संरक्षण से निहित शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है।
- नकद भुगतान पर प्रतिबंध (2022) – कैपिटेशन शुल्क के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजी मेडिकल कॉलेजों को नकद में फीस लेने से प्रतिबंधित कर दिया।
- न्यायालय ने बार–बार यह दोहराया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश योग्यता के आधार पर होना चाहिए न कि भुगतान करने की क्षमता के आधार पर।

"व्यावसायिक शिक्षण संस्थान" से अभिप्रेत है–सक्षम वैधानिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय अथवा संस्थान, जो किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान अथवा संचालित करती हो तथा डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट चाहे जिस नाम से हो, किसी कोर्स में प्रदान करती हो।

व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा समिति के नियम उल्लंघन के मामले में संबंधित विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई :–

यदि कोई संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति द्वारा तय किए गए शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क लेता है अथवा कैपिटेशन शुल्क लेता है तो संबंधित विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है :–

- संस्थान द्वारा लिए गए अधिक शुल्क अथवा कैपिटेशन शुल्क को वापिस करने का आदेश दिया जा सकता है
- संबंधित संस्थान में सीट की कटौती करने की सिफारिश
- संस्थान को दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को वापस लिया जा सकता है
- संस्थान पर कोई अन्य कार्रवाई की सिफारिश

सदन में पुरःस्थापित बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 की स्वीकृति के प्रस्ताव पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय का वक्तव्य– राज्य में निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों के छात्र/छात्राओं और अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के साथ–साथ शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय स्थिरता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति गठित करने की आवश्यकता है।

प्रज्ञाग्नि
प्रशाखा पदाधिकारी

राज्य सभा निर्वाचन 2026

नियम, प्रक्रिया और बिहार से राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन का विश्लेषण

भारत की संसदीय व्यवस्था में राज्य सभा उच्च सदन के रूप में कार्य करती है और यह संघीय ढांचे में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके सदस्यों का कार्यकाल छः वर्षों का होता है तथा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है।

वर्तमान में राज्य सभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें 12 नामित और 233 निर्वाचित हैं। राज्य सभा एक स्थायी सदन है और संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके लगभग एक–तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर उतनी ही संख्या में नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जिससे सदन में निरंतरता और स्थिरता बनी रहती है।

संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नामित किया जाता है, जिससे सदन में विविध दृष्टिकोण शामिल हो सके। शेष सदस्यों का निर्वाचन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote) के माध्यम से किया जाता है, जो विभिन्न दलों और समूहों को उनके संख्याबल के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की "एकल संक्रमणीय मत प्रणाली" एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें मतदाता (विधायक) उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम, जैसे– 1, 2, 3, 4....में अंकित करते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न दलों और समूहों को उनके समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सके।

इस प्रक्रिया में पहले केवल पहली पसंद के मतों की गणना की जाती है। प्रत्येक उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित संख्या में मत (कोटा) प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि कोई उम्मीदवार इस कोटा को पार कर लेता है, तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है।

कोटा= {(कुल वैध मतों की संख्या x100) ÷ (कुल रिक्त सीटों की संख्या +1)}+1

यदि किसी उम्मीदवार को आवश्यकता से अधिक मत मिलते हैं, तो अतिरिक्त मत अगले वरीयता क्रम के आधार पर अन्य उम्मीदवारों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार, सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके

राज्य सभा निर्वाचन : नामांकन के प्रमुख नियम

प्रस्तावक

- मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए : कुल विधायकों के **10% या 10 सदस्य (जो भी कम हो)** का समर्थन आवश्यक
- अन्य उम्मीदवार के लिए : कम से कम **10 विधायकों का समर्थन अनिवार्य**

नामांकन पत्र

- एक उम्मीदवार अधिकतम **4 नामांकन पत्र** दाखिल कर सकता है। {लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उप धारा (2)छ के साथ पठित, धारा 33 की उप–धारा (6)}

जमानत राशि

- **सामान्य उम्मीदवार** : ₹10,000
  {लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2009 (1 फरवरी 2010 से लागू) के द्वारा यथा संशोधित ₹10,000/– (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 39(2) के साथ पठित धारा 34)}
- **अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार** : ₹5,000

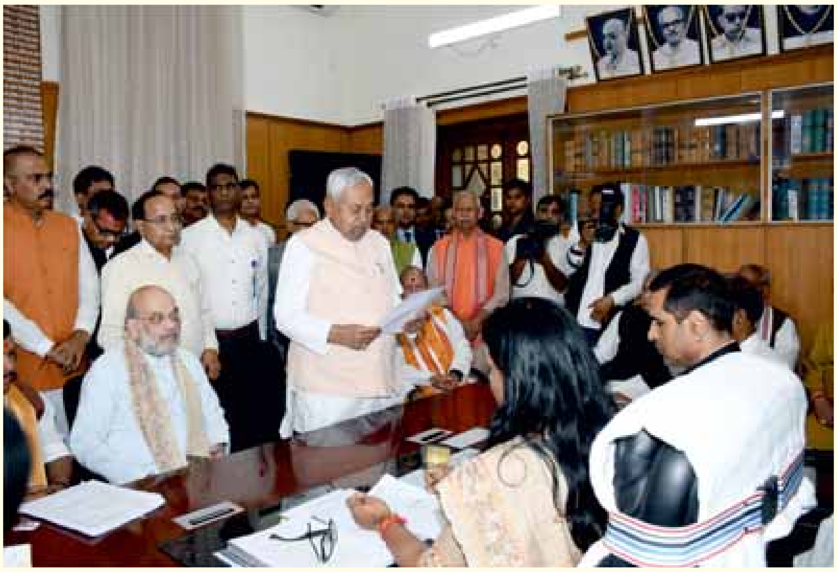

मत भी अगली वरीयता वाले उम्मीदवार को दे दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है, जब तक सभी सीटें भर नहीं जातीं।

इस प्रणाली का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि यह केवल चुनाव की तकनीकी विधि नहीं है, बल्कि प्रतिनिधित्व को अधिक संतुलित और समावेशी बनाने का माध्यम है। इसमें मतों का अपव्यय न्यूनतम होता है और मतदाता की प्रत्येक पसंद अंतिम परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने 26 फरवरी, 2026 को अधिसूचना संख्या 318/रा.स.–मल्टी/2026(1) जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के आदेश से 9 अप्रैल, 2026 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के आधार पर बिहार सहित कुल 10 राज्यों से राज्य सभा के 37 सदस्यों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी की।

राज्य सभा में बिहार के लिए कुल 16 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें से 10 अप्रैल, 2026 की प्रभावी तिथि से 5 सीटें रिक्त हुईं। इन रिक्त सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 39 की उप–धारा (1) एवं धारा 56 के अनुसार निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया–

• नाम निर्देशित करने की अंतिम तारीख	: 05 मार्च 2026
• नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख	: 06 मार्च 2026
• अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	: 09 मार्च 2026
• वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	: 16 मार्च 2026
• वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	: 20 मार्च 2026

बिहार से राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन, 2026 के निर्वाचित सदस्यगण

श्री नीतीश कुमार
जनता दल (यू.)

श्री नितिन नवीन
भाजपा

श्री उपेन्द्र कुशवाहा
रालोमो

श्री रामनाथ ठाकुर
जनता दल (यू.)

श्री शिवेश कुमार
भाजपा

इस निर्वाचन के संचालन हेतु बिहार विधान सभा की तत्कालीन प्रभारी सचिव डॉ. ख्याति सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर तथा उप सचिव, श्री सुधीर कुमार सिंह को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया।

बिहार की इन पाँच रिक्त सीटों के लिए कुल 6 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया, जिनमें अमरेन्द्र धारी सिंह (राष्ट्रीय जनता दल), नीतीश कुमार [जनता दल (यूनाइटेड)], नितिन नवीन (भारतीय जनता पार्टी), रामनाथ ठाकुर [जनता दल (यूनाइटेड)], उपेन्द्र कुशवाहा (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) तथा शिवेश कुमार (भारतीय जनता पार्टी) शामिल थे। प्रत्येक अभ्यर्थी दो सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किए।

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा 09, मार्च 2026 को बिहार विधान सभा भवन के प्रथम तल स्थित पुराने वाचनालय कक्ष को मतदान स्थल के रूप में नियत किया गया। 16 मार्च, 2026 को मतदान सम्पन्न होने के पश्चात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अंतर्गत परिणाम घोषित हुए, जिसमें नीतीश कुमार [जनता दल (यूनाइटेड)], नितिन नवीन (भारतीय जनता पार्टी), रामनाथ ठाकुर [जनता दल (यूनाइटेड)], उपेन्द्र कुशवाहा (राष्ट्रीय लोक मोर्चा) तथा शिवेश कुमार (भारतीय जनता पार्टी) निर्वाचित घोषित किए गए। इस निर्वाचन में श्री अमरेन्द्र धारी सिंह एलिमिनेट हुए। मतगणना के दौरान वरीयता क्रम के अनुसार मतों का स्थानांतरण किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मत का महत्व बना रहता है और अंतिम परिणाम अधिक संतुलित रूप में सामने आता है।

यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि राज्य सभा चुनाव केवल साधारण बहुमत पर आधारित नहीं होता, बल्कि गणितीय संतुलन और वरीयता के आधार पर परिणाम तय होते हैं।

यह पूरा निर्वाचन यह दर्शाता है कि राज्य सभा चुनाव केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह विधायकों की प्राथमिकताओं, दलगत संतुलन और संवैधानिक प्रावधानों के संयोजन पर आधारित एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। विशेष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मत का प्रभाव बना रहे और परिणाम अधिक समावेशी रूप में सामने आए।

बिहार से राज्य सभा में वर्तमान प्रतिनिधित्व

1. डॉ० फैयाज अहमद
2. श्री सतीश चन्द्र दुबे
3. श्रीमती धर्मशीला गुप्ता
4. प्रो० मनोज कुमार झा
5. श्री संजय कुमार झा
6. श्री नीतीश कुमार
7. श्री शिवेश कुमार
8. श्री उपेन्द्र कुशवाहा
9. श्री खीरू महतो
10. श्री मनन कुमार मिश्र
11. श्री नितिन नवीन
12. श्री शम्भू शरण पटेल
13. डॉ. भीम सिंह
14. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह
15. श्री रामनाथ ठाकुर
16. श्री संजय यादव

धनंजय कुमार
शोध संदर्भ सहायक

विकसित भारत युवा संसद

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता लोकतंत्र की सफलता की आधारशिला मानी जाती है। ऐसे में युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जोड़ने के लिए 'युवा संसद' एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। यह एक सशक्त मंच है, जहाँ छात्र और युवा संसदीय कार्य प्रणाली को समझते हैं और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श करते हैं। युवा संसद का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक समझ और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। युवा संसद लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम है। यह युवाओं को न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है, बल्कि कर्त्तव्यों का भी एहसास कराती है। इसी व्यापक दृष्टि के साथ 19–20 मार्च 2026 को बिहार विधान सभा के केंद्रीय सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय **"विकसित भारत युवा संसद–2026"** एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल के रूप में उभरकर सामने आया। इसके पूर्व 'राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद' कार्यक्रम बिहार विधान सभा के केन्द्रीय सभागार में दिनांक 29 मार्च, 2025 को आयोजित किया गया था।

राष्ट्रीय युवा संसद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसका संचालन राष्ट्रीय युवा विकास अभियान के अंतर्गत किया जाता है। इस संस्था का उद्देश्य राष्ट्र के विकास में नयी पीढ़ी को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। भारत में वर्ष 2019 से हर साल राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत "मेरा युवा भारत" के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम ने युवाओं को लोकतांत्रिक विमर्श की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें नीति–निर्माण की प्रक्रियाओं को निकट से जानने का सार्थक अवसर प्रदान किया है।

"विकसित भारत युवा संसद–2026" की शुरुआत राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव की उसी पहल से हुई है, जिसे वर्ष 2019 में युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के युवाओं को अपने विचार रखने और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। समय के साथ इसमें युवाओं की भागीदारी लगातार बढ़ी है और यह एक बड़े राष्ट्रीय मंच के रूप में विकसित हुआ है।

वर्ष 2024–25 से इस कार्यक्रम को **"विकसित भारत 2047"** की सोच के साथ जोड़ा गया। युवा संसद

का उद्देश्य यह है कि युवा केवल दर्शक बनकर न रहें, बल्कि देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएँ और अपने विचारों के माध्यम से नीति–निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ें। इसके साथ ही, यह कार्यक्रम युवाओं को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का अवसर देता है, उन्हें सार्वजनिक मुद्दों के प्रति जागरूक बनाता है तथा उनमें निर्णय लेने की क्षमता और तार्किक सोच का विकास करता है। साथ ही, युवाओं के विचारों को नीति–निर्माताओं तक पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम भी प्रदान करता है।

यह कार्यक्रम तीन चरणों में आयोजित किया जाता है–

- जिला स्तर
- राज्य स्तर
- राष्ट्रीय स्तर

सबसे पहले जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जहाँ युवा अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर तक पहुँचते हैं, और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर संसद भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है।

इस पूरी प्रक्रिया में युवा केवल भाषण देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कार्यप्रणाली को समझते हैं, समसामयिक मुद्दों पर सोच–समझकर अपने विचार रखते हैं और सार्वजनिक मंच पर प्रभावी अभिव्यक्ति का अभ्यास करते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागियों को चर्चा, प्रश्नकाल और संवाद जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नीति–निर्माताओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। इससे उनके विचारों को एक व्यापक मंच प्राप्त होता है और वे देश की विकास प्रक्रिया से अधिक गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं।

आयोजन का स्वरूप

बिहार विधान सभा जैसे प्रतिष्ठित संवैधानिक मंच पर इस आयोजन का संपन्न होना इसकी गंभीरता और प्रासंगिकता को स्वतः स्थापित करता है। यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रशिक्षण की एक सुसंगठित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में परिलक्षित हुआ है।

बिहार विधान सभा के केंद्रीय सभागार में **"विकसित भारत युवा संसद–2026"** के उद्घाटन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और राज्य के विभिन्न जिलों से आए युवा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह मंच केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा–**"जब युवा सोचते हैं, तो राष्ट्र आगे बढ़ता है और जब युवा बोलते हैं, तो लोकतंत्र मजबूत होता है।"**

अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं को केंद्र में रखते हुए "केंद्रीय बजट 2026" को एक ऐसी दिशा के रूप में रेखांकित किया, जो **"विकसित भारत 2047"** की राह को प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि आज का युवा केवल अवसर तलाशने वाला नहीं, बल्कि अवसर गढ़ने वाला बन रहा है और यही परिवर्तन भारत की सबसे बड़ी ताकत है।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि विकास केवल आर्थिक उन्नति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, नैतिकता और पर्यावरणीय संतुलन के साथ ही सार्थक बनता है। इसी संदर्भ में उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें।

अंत में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के शब्दों को स्मरण कराते हुए युवाओं को निरंतर प्रयास के लिए प्रेरित किया–**"उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।"**

सहभागिता का व्यापक आयाम

इस दो दिवसीय आयोजन में बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित कुल 184 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विविध सामाजिक, शैक्षिक और भौगोलिक पृष्ठभूमियों से आए इन युवाओं ने कार्यक्रम को समावेशी स्वरूप प्रदान किया।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों में से पूर्वी चंपारण के हिमांशु कुमार, भागलपुर के मो० नौशाद करीम तथा पटना की आयुषी आर्या को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इन प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर संसद भवन, नई दिल्ली में आयोजित युवा संसद में बिहार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा।

यह प्रक्रिया न केवल प्रतिभा के निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित करती है, बल्कि राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक युवाओं की सहभागिता की एक सशक्त श्रृंखला का निर्माण भी करती है।

वैचारिक विमर्श

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने **"केंद्रीय बजट 2026 : विकसित भारत 2047 की ओर भारतीय युवाओं के मार्ग को सुदृढ़ बनाना"** विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

उनकी प्रस्तुतियों में विषय की गहन समझ, तार्किक विश्लेषण, संतुलित दृष्टिकोण तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। यह मंच लोकतंत्र की एक जीवंत प्रयोगशाला के रूप में सामने आया, जहाँ विचार केवल व्यक्त ही नहीं हुए, बल्कि परिपक्व विमर्श में परिवर्तित भी हुए।

जूरी की भूमिका

इस आयोजन की एक प्रमुख विशेषता इसकी उच्चस्तरीय जूरी रही, जिसकी अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, डॉ० प्रेम कुमार द्वारा की गई। जूरी के सदस्यों में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण तथा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के माननीय मंत्री (तत्कालीन) श्री संजय सिंह 'टाइगर', सूचना प्रावैधिकी एवं खेल विभाग की माननीय मंत्री (तत्कालीन) सुश्री श्रेयसी सिंह तथा माननीय सदस्यगण श्री नीतीश मिश्रा, श्री राणा रणधीर, श्री मंजीत कुमार सिंह, श्रीमती संगीता कुमारी, श्रीमती दीपा कुमारी, श्री बाबुलाल शौर्य, श्री शुभानंद मुकेश एवं श्री कौशल किशोर, सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग सहित अन्य गणमान्य व्यक्तित्व शामिल थे, जिन्होंने प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों का गंभीरता और निष्पक्षता के साथ मूल्यांकन किया।

राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद, 2026 के प्रतिभागियों में –

- प्रथम स्थान पर पूर्वी चम्पारण के हिमांशु कुमार
- द्वितीय स्थान पर भागलपुर के मो० नौशाद करीम
- तृतीय स्थान पर पटना की आयुषी आर्या रही।

जूरी के रूप में इन गणमान्य महानुभावों की गरिमामयी उपस्थिति से न केवल आयोजन की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, बल्कि राज्य के 37 जिलों से चयनित 184 युवा प्रतिभागियों के उत्साह और आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इन दो दिनों के दौरान जूरी को प्रतिभागियों के विचारों को निकट से सुनने और समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रतिभागियों ने जिस परिपक्वता, आत्मविश्वास और वैचारिक स्पष्टता के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए, उसने भविष्य के सक्षम और उत्तरदायी नेतृत्व की स्पष्ट संभावनाओं को रेखांकित किया। प्रत्येक प्रतिभागी में जागरूकता, संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई, जो एक उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करती है।

"युवा संसद" की अवधारणा युवाओं को केवल अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की गहराई को समझने का अवसर भी देती है। इस मंच के माध्यम से युवाओं में नीति–निर्माण की समझ, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था तथा संवाद और सहमति की संस्कृति का सुदृढ़ विकास होता है।

पूर्वी चंपारण के हिमांशु कुमार

प्रतिभागियों के विचार : तथ्य और दृष्टि का समन्वय

प्रतियोगिता के दौरान कुछ वक्तव्य अपनी गहनता, प्रस्तुति और दृष्टिकोण के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे।

पूर्वी चंपारण के हिमांशु कुमार का वक्तव्य तर्क, तथ्य और प्रेरणा का उत्कृष्ट समन्वय प्रस्तुत करता है। उन्होंने केंद्रीय बजट 2026 को राष्ट्र के भविष्य का खाका बताते हुए यह महत्वपूर्ण तथ्य रखा कि भारत की लगभग **65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है,** जो देश की सबसे बड़ी शक्ति है। उनका वक्तव्य यह संदेश देता है कि यदि युवा कौशल, नवाचार और उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ें, तो **"विकसित भारत 2047"** एक यथार्थ बन सकता है।

भागलपुर के मो० नौशाद करीम ने अपने वक्तव्य में व्यक्तिगत अनुभव को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हुए एक

भागलपुर के मो० नौशाद करीम

सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बुनकर परिवार से आने वाले प्रतिभागी के रूप में उन्होंने यह दर्शाया कि सरकारी योजनाएँ केवल कागजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन ला रही हैं एवं मुद्रा ऋण और क्रेडिट सहायता जैसी व्यवस्थाएँ युवाओं को रोजगार सृजन की दिशा में प्रेरित कर रही हैं । उनका वक्तव्य इस तथ्य को रेखांकित करता है कि विकास तब सार्थक होता है, जब वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है।

पटना की आयुषी आर्या ने अपने वक्तव्य में सामाजिक दृष्टि और भावनात्मक गहराई का प्रभावी संयोजन प्रस्तुत किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विकास केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानवीय संवेदनशीलता का समावेश आवश्यक है। उनका वक्तव्य यह संदेश देता है कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है, जब विकास सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे।

इन वक्तव्यों का सामूहिक विश्लेषण यह स्पष्ट

पटना की आयुषी आर्या

करता है कि आज का युवा केवल विचार प्रस्तुत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता भी रखता है। इनका सम्मिलित दृष्टिकोण ही "विकसित भारत" की वास्तविक परिभाषा को पूर्ण करता है।

विकसित भारत की संकल्पना में युवा भूमिका

यह आयोजन **"विकसित भारत 2047"** की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप है, जिसमें युवा शक्ति को केंद्र में रखा गया है। आज का युवा नवाचार, आत्मनिर्भरता और परिवर्तन का वाहक बनकर उभर रहा है। निश्चित रूप से बिहार के युवा न केवल राज्य, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

बिहार विधान सभा में आयोजित **"विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम–2026"** लोकतांत्रिक चेतना, युवा ऊर्जा और संस्थागत मार्गदर्शन के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

यह आयोजन इस तथ्य को पुनः स्थापित करता है कि यदि युवाओं को उपयुक्त मंच, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान किए जाएँ, तो वे न केवल विचारों के स्तर पर, बल्कि क्रियान्वयन के स्तर पर भी राष्ट्र को नई दिशा देने में सक्षम हैं।

अतः आवश्यक है कि इस प्रकार की पहलों को निरंतरता प्रदान की जाए, ताकि लोकतांत्रिक सहभागिता की संस्कृति और अधिक सुदृढ़ हो तथा भारत एक जागरूक, समावेशी और विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को और अधिक सशक्त कर सके।

पंकज कुमार/धनंजय कुमार
शोध संदर्भ सहायक

प्रस्तुत विचारोत्तेजक संपादकीय मूलतः दैनिक जागरण अखबार के दिनांक 10 अप्रील, 2026 पटना संस्करण में प्रकाशित हुआ था, जिसके विषय की गंभीरता एवं प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए इस पत्रिका में पाठकों के समक्ष पुनर्प्रकाशित किया जा रहा है।

संसदीय कामकाज की बदलती संस्कृति

डॉ० प्रेम कुमार
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा

भारत का लोकतंत्र बहुलतावाद पर आधारित राष्ट्रीयता की उस उदात्त कल्पना पर प्रतिष्ठित है, जिसमें विविधता को शक्ति माना गया है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी संवैधानिक संस्थाएं हैं। संसद इन संस्थाओं का सर्वोच्च मंच है। इस सदन में व्यक्त होने वाली हर आवाज देश के करोड़ों नागरिकों की आशाओं और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संसदीय लोकतंत्र में सर्वोच्च गरिमापूर्ण, निष्पक्ष और शक्तिसंपन्न संवैधानिक पद है। वे सदन की कार्यवाही के सुचारु संचालन, नियमों के पालन, सांसदों के अनुशासन, विशेषाधिकारों की रक्षा और सदन की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।

19 जून, 2019 को ओम बिरला को 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। इस निर्वाचन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ साथ प्रमुख विपक्षी दलों ने भी अपना समर्थन दिया। यह व्यापक सहमति इस विश्वास का प्रमाण थी कि वे सदन को संतुलित, प्रभावी और अनुशासित रीति से संचालित करने की क्षमता रखते हैं। अध्यक्ष पद ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने जो सुधारात्मक प्रयास और संस्थागत नवाचार किए, उनसे न केवल लोकसभा की कार्यसंस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन आया, अपितु सदन की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सदन की कार्यवाही में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित कर उन्होंने दशकों से चली आ रही परिपाटी को नई दिशा दी है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कुशल, निष्पक्ष एवं दूरदर्शी नेतृत्व पर सभी राजनीतिक दल को विश्वास है। उनके मार्गदर्शन में भविष्य में भी लोकसभा की गरिमा, प्रभावशीलता व लोकतांत्रिक चरित्र और अधिक सुदृढ़ होगा।

लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक एवं अपेक्षित हैं, किंतु वे मनभेद में परिवर्तित नहीं होने चाहिए। वैचारिक विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र को जीवंत बनाती है। तथापि, मतभेदों की अभिव्यक्ति नियमों और संसदीय प्रक्रियाओं के दायरे में ही सार्थक होती है। ओम बिरला ने जिस संयम, संतुलन और निष्पक्षता के साथ विभिन्न परिस्थितियों का सामना किया वह न केवल सराहनीय है, अपितु देश की समस्त विधानसभाओं के लिए भी एक आदर्श उदाहरण है। ओम बिरला के कार्यकाल का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू संसदीय प्रणाली के संस्थागत सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। इसी दिशा में नवनिर्वाचित सांसदों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम (ओरिएंटेशन प्रोग्राम) एक सुव्यवस्थित और प्रभावी प्रशिक्षण सत्र के रूप में स्थापित किया गया,

जो उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों, विधायी कार्य तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से सुपरिचित कराता है। इससे न केवल सांसदों की सदन में भागीदारी अधिक प्रभावी हुई बल्कि बहसों की गुणवत्ता में भी ठोस सुधार परिलक्षित हुआ।

तकनीकी आधुनिकीकरण : ओम बिरला के नेतृत्व में लोकसभा को 'पेपरलेस' बनाने और तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 'डिजिटल संसद' प्लेटफॉर्म की स्थापना, सांसदों के लिए डिजिटल उपस्थिति प्रणाली जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं इसी व्यापक परिवर्तन का अंग हैं। मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों की निगरानी के लिए 'ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम' को सशक्त किया गया, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की जवाबदेही और पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसी क्रम में 'नेशनल ई विधान एप्लीकेशन' कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर लागू किया गया। वर्तमान में 21 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की विधानमंडलें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना विधायी कामकाज डिजिटल माध्यम से संचालित कर रही हैं। इस नवाचार से विधानसभाओं की डिजिटल कार्यप्रणाली को अत्यंत प्रोत्साहन मिला है।

संसदीय कार्यवाही के आधुनिकीकरण तथा पारदर्शिता, सुगमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

लोकसभा अध्यक्ष का पद दलगत राजनीति से सर्वथा ऊपर होता है और संविधान ने उन्हें तटस्थ मध्यस्थता की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। संसदीय अनुशासन को बनाए रखना अध्यक्ष की एक अनिवार्य संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निश्चित रूप से मूलभूत है, किंतु

यह स्वतंत्रता संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में ही अर्थपूर्ण एवं वैधानिक होती है। ऐसे में जब अध्यक्ष को अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, तो राजनीतिक असहमति का उभरना स्वाभाविक है। फिर भी यह समझना आवश्यक है कि यदि अध्यक्ष की संस्था को विवादों और अविश्वास के घेरे में रखा जाएगा, तो इससे संसदीय लोकतंत्र की मूल संरचना कमजोर हो सकती है।

अंततः लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में ध्वनि मत से अस्वीकृत कर दिया गया। यह परिणाम इस तथ्य का प्रमाण है कि सदन को बिरला के कुशल, निष्पक्ष एवं दूरदर्शी नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है। उनके मार्गदर्शन में भविष्य में भी लोकसभा की गरिमा, प्रभावशीलता व लोकतांत्रिक चरित्र और अधिक सुदृढ़ होगा। भारतीय संसदीय लोकतंत्र की यह यात्रा केवल संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की कहानी नहीं है, यह उस अटूट संकल्प की गाथा है, जो प्रत्येक चुनौती को अवसर में और प्रत्येक संकट को नवनिर्माण की शक्ति में परिवर्तित करती है। जब तक सदन में एक भी स्वर जनआकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता रहेगा, भारत का लोकतंत्र न केवल जीवित रहेगा, अपितु और अधिक दीप्तिमान होता रहेगा।

ई-गवर्नेंस और डिजिटल विधायिका : पारदर्शिता की दिशा में एक कदम

पी.सी. मोदी
महासचिव, राज्य सभा

21वीं सदी में शासन का विकास तीव्र तकनीकी प्रगति से अलग नहीं है। डिजिटल विधायिकाएँ अब केवल सुविधा का विषय नहीं रह गई हैं–वे लोकतांत्रिक आवश्यकता बन चुकी हैं। दुनिया भर में विधायिकाएँ अपनी पारंपरिक भूमिकाओं को पुनर्परिभाषित कर रही हैं और लगातार जटिल होते जा रहे और एक–दूसरे से जुड़े वैश्विक परिवेश में अपनी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए नवाचार को अपना रही हैं। जैसा कि इंटर–पार्लियामेंट्री यूनियन की 'वर्ल्ड ई–पार्लियामेंट रिपोर्ट 2024' में बताया गया है कि लगभग 68% संसदों के पास अब सुनियोजित डिजिटल रणनीतियाँ मौजूद हैं, जो इस बात को रेखांकित करता है कि विधायी प्रभावशीलता के लिए तकनीक अब एक केंद्रीय भूमिका निभा रही है। चूँकि विधायी प्रभावशीलता ही सुशासन का मूल आधार है, इसलिए यह स्पष्ट है कि सुशासन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का संचालन अब अधिकाधिक रूप से तकनीक के माध्यम से ही किया जा रहा है।

भारत में यह संक्रमण काल संसद और उसके सचिवालयों के चल रहे डिजिटल रूपांतरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो धीरे–धीरे अधिक पारदर्शी, समावेशी और कुशल विधायी कार्यप्रणाली के मॉडल की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव व्यापक डिजिटल इंडिया मिशन पर आधारित है, जिसका उद्देश्य देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। इस दृष्टि से, ये प्रयास विकसित भारत के विजन के साथ भी मेल खाते हैं, जहाँ तकनीक, शासन और लोकतांत्रिक भागीदारी दोनों को सशक्त बनाती है।

इस व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के भीतर, राज्यसभा डिजिटल परिवर्तन की एक प्रमुख प्रेरक के रूप में उभरी है। "डिजिटल संसद" की समग्र परिकल्पना के अंतर्गत, यह परिवर्तन अलग–अलग डिजिटलीकरण प्रयासों से आगे बढ़कर एक पूर्णतः एकीकृत और उत्तरदायी विधायी पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में परिवर्तन को दर्शाता है।

राज्य सभा का डिजिटल रूपांतरण

विगत दो दशकों में राज्य सभा की डिजिटल यात्रा मूलभूत कंप्यूटरीकरण से आगे बढ़कर एक एकीकृत पोर्टल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास तक पहुँची है, जो पहले की अव्यवस्थित सेवाओं को एक मंच पर समेकित करता है। यह प्लेटफॉर्म तीन प्रमुख समूहों–संसद सदस्य, सचिवालय और नागरिकों को सहज रूप से जोड़ता है। संसद सदस्यों को एकल और सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से सभी संसदीय सेवाओं तक पहुँच प्राप्त होती है। सचिवालय को अधिक संचालनगत दक्षता प्राप्त होती है और नागरिकों को विधायी सूचना और डाटा के विशाल भंडार तक बेहतर पहुँच का लाभ मिलता है। यह संक्रमण काल एक ऐसी डिजिटल विधायिका की ओर निर्णायक कदम को परिलक्षित करता है, जो पारदर्शिता और सुलभता को प्राथमिकता देता है।

'संपूर्ण डिजिटल संसद' (एसडीएस) परियोजना इस आधुनिकीकरण का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसका उद्देश्य राज्य सभा और उसके सचिवालय की सूचना प्राद्योगिकी संरचना का व्यापक पुनर्गठन करना है। एसडीएस छह स्तंभों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक को 'सेतु' कहा गया है, जो संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ है 'पुल'। 'सभा सेतु' सभा के कार्य संचालन में सहायक है, जिसमें डिजिटलीकृत कार्य ज्ञापन, प्रभावशाली वक्ताओं की सूची, ई–बैलेट प्रणाली और एकीकृत ई–कार्यवृत्त को एक सुगम कार्यप्रवाह में शामिल किया गया है। 'सदस्य सेतु' संसद सदस्यों के लिए है, जो सूचना प्रस्तुति, देयताओं, अनुसूचियों और समिति से जुड़े कार्यों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराता है। 'समिति सेतु' संसदीय समितियों के कार्य को सुदृढ़ करता है, जिसमें दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक वितरण और संसदीय समाचार भाग–2 से जुड़ी प्रक्रियाओं का सरलीकरण शामिल है। 'संचालन सेतु' प्रशासनिक कार्यों और सुरक्षित उपस्थिति को सुगम बनाता है। 'समग्र सेतु' सचिवालय के अनेक आंतरिक कार्यों को एक साथ जोड़ता है, जिसमें कर्मचारियों के

प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए 'स्पैरो' और सचिवालय के कागज रहित कार्य के लिए ई–ऑफिस शामिल हैं। अंतिम, पर कम महत्वपूर्ण नहीं, 'वाणी सेतु', जो इस श्रृंखला का नवीनतम संकलन है, भाषण–से–पाठ रिपोर्टिंग, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के अनुवाद और लाइव भाषांतरण को एक एकीकृत भाषा सेवा मंच में समाहित करता है। इन सभी छह 'सेतु' का लक्ष्य मिलकर संसद को कागजरहित, कुशल और पारदर्शी बनाना है।

ए आई और मशीन लर्निंग भाषा–संबंधी समावेशिता और विधायी सहायता को गति प्रदान करना

इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आयाम भारत की भाषाई विविधता का समाधान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का एकीकरण करना है। राष्ट्रीय भाषा मिशन –भाषिणी के सहयोग से विकसित ए आई संचालित अनुवाद और प्रतिलेखन टूल्स का परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें उपयोग में लाया जा रहा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 10 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में संसदीय दस्तावेजों का अनुवाद पहले से ही उपलब्ध है।

भाषाई सहायता के अलावा, संसद सदस्यों के लिए आभासी संसदीय सहायक के रूप में कार्य करने के लिए एक चौटबॉट विकसित किया जा रहा है, जो उन्हें प्रक्रियागत नियमों को समझने और विधायी कार्यों को आसानी से ट्रैक करने में मदद करेगा। इसके अलावा, दशकों से संग्रहीत संसदीय वाद–विवादों में संदर्भ–आधारित खोज की सुविधा देने के लिए एक ए आई–संचालित वीडियो लाइब्रेरी बनाई जा रही है। कुल मिलाकर, ये पहल एक अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी–सक्षम संसदीय व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

लोकतंत्र को मजबूत करना, पारदर्शिता, जन विश्वास और संस्थागत प्रतिरोध क्षमता

इस डिजिटल परिवर्तन के व्यापक निहितार्थ संस्थागत दक्षता से कहीं अधिक हैं। पारदर्शी और सुलभ विधायी प्रणाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास को मजबूत बनाती है। जब नागरिकों के पास विधायी जानकारी, बहस और निर्णयों तक समय पर पहुंच सुलभ होती है, तो वे शासन की संस्थाओं के साथ जुड़ने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म दूरी, भाषा और पहुंच की बाधाओं को तोड़कर इस भागीदारी को सुविधाजनक बनाते हैं। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी का एकीकरण विधायी संस्थाओं के प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाता है। अप्रत्याशित संकट या व्यवधान के दौर में, डिजिटल प्रणाली संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करती है और विधायिका को निर्बाध रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती है। यह प्रतिरोधक्षमता तेजी से बदलते विश्व में अनिवार्य है जहां अप्रत्याशित चुनौतियां किसी भी समय उत्पन्न हो सकती हैं। आईपीयू ने नोट किया है कि डिजिटल रूप से परिपक्व संसदें संकट के दौरान काफी अधिक समुत्थानशील साबित हुईं, और उन्होंने न्यूनतम व्यवधान के साथ विधायी कार्यों को जारी रखा।

राज्य विधायिकाओं के साथ साझा यात्रा

भारतीय संसद इस दिशा में अकेली नहीं है। हमारे संघीय लोकतंत्र की ताकत राज्य की विधायिकाओं में निहित है, जिनमें से प्रत्येक का समान संवैधानिक कर्तव्य होता है। बिहार विधान सभा और देश भर की अन्य विधानसभाओं में 'ई–विधान', कागज–रहित समिति प्रणालियों और डिजिटल नागरिक इंटरफेस को अपनाने के लिए जो कार्य हो रहा है, वह एक सतत राष्ट्रीय परियोजना का हिस्सा है। खुले मानक और अंतर–संचालित डिजाइन इस बात को संभव बनाते हैं कि केंद्र में विकसित नवाचारों को राज्य स्तर पर अपनाया जा सके, और इसी प्रकार राज्य स्तर पर विकसित नवाचारों को केंद्र में भी अपनाया जा सके। 'विधान प्रबोधिनी' अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि राज्य स्तर पर किया गया सुविचारित संस्थागत चिंतन किस तरह व्यापक विधायी संवाद को समृद्ध करता है।

भविष्य के लिए तैयार विधायी तंत्र का विजन

भारत की संसद और राज्य विधायिकाओं का डिजिटल रूपांतरण, आधुनिक युग के लिए विधायी कामकाज की एक व्यापक पुनर्कल्पना को दर्शाता है। उन्नत तकनीकों और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को कुशल कार्यबल के साथ एकीकृत करके, ये संस्थाएँ अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और उत्तरदायी निकायों के रूप में विकसित हो रही हैं। यह परिवर्तन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और पूरे देश में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने में ई–गवर्नेंस की अपार क्षमता को रेखांकित करता है। जैसे–जैसे भारत एक ज्ञान–आधारित समाज बनने की दिशा में अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है, वैसे–वैसे राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक डिजिटल विधायिका का विकास इस बात का प्रमाण है कि प्रौद्योगिकी, लोकतंत्र के मूल्यों को सशक्त करने और उसकी जड़ों को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

विधायिका में महिलाओं की भागीदारी :

'लोकतंत्र की पूर्णता की ओर एक अनिवार्य कदम'

शीला कुमारी
मंत्री
बिहार सरकार

किसी भी राष्ट्र की लोकतांत्रिक परिपक्वता का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि उसके नीति–निर्धारण केंद्रों में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं की कितनी सक्रिय भागीदारी है। विश्व की लगभग आधी आबादी होने के नाते, विधायी निकायों (संसद और विधानसभाओं) में महिलाओं की उपस्थिति केवल लैंगिक समानता का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सुशासन की गुणवत्ता और समावेशी विकास की आवश्यकता भी है।

1.ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान स्थिति :–

इतिहास साक्षी है कि महिलाओं को मताधिकार और चुनाव लड़ने के अधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। वर्ष 1893 में न्यूजीलैंड महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश बना, जबकि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर एक प्रगतिशील उदाहरण पेश किया।

वर्तमान स्थिति की एक झलक :

वैश्विक स्तर पर : अंतर–संसदीय संघ (IPU) के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 26–27% के आसपास है। वहीं रवांडा और क्यूबा जैसे देशों ने इस मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक है।

भारत का परिदृश्य : भारत में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (128वां संविधान संशोधन) के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो लोकतांत्रिक समावेशन की दिशा में एक युगांतकारी कदम है।

2. विधायी निकायों में महिलाओं की उपस्थिति–

महिलाओं की भागीदारी शासन के स्वरूप को मौलिक रूप से बदल देती है –

प्राथमिकताओं में बदलाव : शोध बताते हैं कि महिला जनप्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और बाल कल्याण जैसे सामाजिक मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे मानव विकास सूचकांकों में सुधार होता है।

प्रभावी नेतृत्व : महिलाएं अक्सर सहयोगात्मक और समावेशी नेतृत्व शैली अपनाती हैं, जो संघर्ष समाधान और आम सहमति बनाने में सहायक होती है।

समानता का प्रतीक : जब महिलाएं नीति–निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती हैं, तो वे उन सूक्ष्म भेदभावों को सामने लाती हैं जिन्हें पुरुष प्रधान व्यवस्था अक्सर अनदेखा कर देती है (जैसे– कार्यस्थल पर नारी सुरक्षा, मातृत्व लाभ आदि)।

3. भागीदारी के मार्ग में प्रमुख बाधाएं :–

संवैधानिक अधिकारों के बावजूद, महिलाएं राजनीति में कई संरचनात्मक एवं सामाजिक चुनौतियों का सामना करती हैं जैसे :–

- सामाजिक–सांस्कृतिक श्रेणी में पितृसत्तात्मक मानसिकता, घरेलू जिम्मेदारियों का दोहरा बोझ और राजनीति को 'पुरुष–प्रधान क्षेत्र' मानने की धारणा।
- आर्थिक श्रेणी में चुनाव लड़ने के लिए भारी धन की आवश्यकता। महिलाओं के पास अक्सर स्वतंत्र वित्तीय संसाधनों की कमी होती है।
- संस्थागत श्रेणी में राजनीतिक दलों के भीतर टिकट वितरण में भेदभाव और सुरक्षित कार्य वातावरण का अभाव।
- हिंसा और उत्पीड़न श्रेणी में महिला नेताओं को अक्सर ऑनलाइन ट्रोलिंग, चरित्र हनन और शारीरिक हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके मनोबल और भागीदारी को प्रभावित करता है।

4. भारत में सुधार की पहल :

नारी शक्ति वंदन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

- लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एक–तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएँगी।
- यह आरक्षण प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए लागू होगा (जिसे आवश्यकतानुसार बाद में बढ़ाया जा सकता है)।
- इसका उद्देश्य केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाना नहीं, बल्कि नीति–निर्माण के उच्च स्तर पर महिलाओं की आवाज को निर्णायक बनाना है।

5. भविष्य की राह और सुझाव :

केवल आरक्षण ही पर्याप्त नहीं है, वास्तविक बदलाव के लिए बहुआयामी और सतत प्रयासों की भी आवश्यकता है:

- **राजनीतिक दलों का लोकतंत्रीकरण :** दलों को स्वेच्छा से अधिक महिला उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए।
- **क्षमता निर्माण :** निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए ताकि वे विधायी प्रक्रिया की बारीकियों को समझ सकें।
- **सुरक्षित वातावरण :** डिजिटल और भौतिक– दोनो स्तरों पर महिला नेताओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू की जानी चाहिए।
- **जागरूकता :** जमीनी स्तर, विशेषकर पंचायतों से महिलाओं को नेतृत्व के लिए प्रेरित करना चाहिए।

बिहार में महिला सशक्तीकरण : 'बिहार मॉडल'

भारत के सामाजिक–राजनीतिक मानचित्र पर बिहार लंबे समय तक पितृसत्तात्मक जकड़न और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले दो दशकों में, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में जो 'क्रांतिकारी और अद्वितीय' मॉडल प्रयोग किए गए, उन्होंने न केवल बिहार की तस्वीर बदली, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक 'रोल मॉडल' बना।

यहाँ बिहार की उन ऐतिहासिक पहलों और उनके दूरगामी परिणामों का विस्तृत विश्लेषण है :

1. पंचायतों में 50% आरक्षण : देश का पहला साहसिक कदम

वर्ष 2006 में, नीतीश कुमार ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने भारतीय लोकतंत्र का परचम फहरा दिया। बिहार भारत का पहला राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया।

ऐतिहासिक महत्व : उस समय राष्ट्रीय स्तर पर 33% आरक्षण की बात हो रही थी, लेकिन बिहार ने एक कदम आगे बढ़कर आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी दी।

परिणाम : आज बिहार की पंचायतों और नगर निकायों में हजारों महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। इसने 'मुखिया पति' आदि की संस्कृति को धीरे–धीरे खत्म कर जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व की नई खेप तैयार की है।

2. मुख्यमंत्री साइकिल योजना : शिक्षा में लैंगिक असमानता को खत्म करना

लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना' वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनी।

पहल : हाई स्कूल जाने वाली प्रत्येक छात्रा को साइकिल खरीदने के लिए सीधे नकद राशि दी गई।

परिणाम : साइकिल ने लड़कियों को न केवल गति दी, बल्कि 'आत्मविश्वास' भी दिया। इस योजना के बाद स्कूलों में लड़कियों का नामांकन आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा। वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने माना कि इस एक पहल ने बिहार के ग्रामीण परिवेश में लड़कियों की शिक्षा के प्रति सामाजिक नजरिया बदल दिया।

3. जीविका (JEEVIKA) : आर्थिक स्वावलंबन की रीढ़

बिहार में 'जीविका' (बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना) के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का जो संजाल बुना गया, वह बेमिसाल है।

विस्तार : आज बिहार में 1.30 करोड़ से अधिक महिलाएं 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।

प्रभाव : इन महिलाओं ने न केवल बैंक से ऋण लेकर छोटे उद्यम शुरू किए, बल्कि वे अब सामुदायिक निवेश और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व भी कर रही हैं।

4. सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण

बिहार सरकार ने पुलिस बल सहित राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया।

पुलिस बल में बिहार का डंका : आज भारत के सभी राज्यों की तुलना में बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सबसे अधिक (प्रतिशत में) है।

परिणाम : थानों में महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी ने पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय तक पहुँच को आसान बनाया है और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ किया है।

5. शराबबंदी : एक सामाजिक क्रांति

2016 में महिलाओं की मांग पर लागू की गई 'पूर्ण शराबबंदी' नीति के केंद्र में महिला सुरक्षा और घरेलू शांति की भावना थी।

सामाजिक प्रभाव : शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में कमी दर्ज की गई है और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, क्योंकि जो पैसा पहले शराब में व्यर्थ होता था, वह अब बच्चों की शिक्षा और पोषण पर खर्च हो रहा है।

'तुलनात्मक प्रभाव और उपलब्धियाँ'

तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर बिहार को ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बनाया। परिणामस्वरूप बिहार जैसे पिछड़े माने जाने वाले राज्य की महिलाओं में राजनीतिक चेतना और जमीनी नेतृत्व का उदय हुआ।

शिक्षा के क्षेत्र में पोशाक एवं साइकिल योजना चलाकर मैट्रिक परीक्षा में लड़कियों की भागीदारी लड़कों के बराबर पहुँचाया। रोजगार के क्षेत्र में 35% आरक्षण देकर सभी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि जहां बिहार की महिलाएं घर से बाहर निकलने में भय और संकोच खाती थीं, उसी बिहार की बिहार पुलिस में देश की सर्वाधिक महिला भागीदारी सुनिश्चित की गयी। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में शराबबंदी, दहेज–प्रथा और बाल विवाह विरोधी अभियान चलाकर महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी लाने और सामाजिक सम्मान में वृद्धि सुनिश्चित की। नीतीश कुमार की पहल केवल लोक–लुभावन घोषणाएं नहीं थीं, बल्कि वे 'न्याय के साथ विकास' का सिद्धांत, जो गांधी, अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश और कर्पूरी के विचारों पर आधारित था, को सच्चे आदर्श के रूप में अपनाया गया। बिहार ने यह सिद्ध किया कि यदि सरकार की इच्छाशक्ति दृढ़ हो, तो सबसे पिछड़े क्षेत्रों में भी महिलाएं बदलाव की संवाहक बन सकती हैं। आज का 'सशक्त बिहार' अपनी उन करोड़ों बेटियों के कंधों पर खड़ा है, जिन्हें नीतीश कुमार की नीतियों ने घर की चौखट से निकालकर सत्ता के गलियारों और सफलता के शिखरों तक पहुँचाया है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं जो गृहिणी होने के नाते चौका में थी, नीतीश जी की मौन क्रांति ने मुझे चौका से सदन और यहाँ तक कि मंत्री पद तक भी पहुँचाया, यह "चौका से चौक तक" की यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है।

यह 'बिहार मॉडल' आज महिला सशक्तिकरण की वैश्विक बहस में एक अनिवार्य अध्याय बन चुका है।

निष्कर्ष :

विधायिका में महिलाओं की भागीदारी केवल एक 'संवैधानिक प्रावधान' या 'कोटा' भर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता, संवेदनशीलता और समावेशिता के लिए 'संजीवनी' है। जब नीति–निर्माण की मेज पर पुरुष और महिलाएं साथ बैठते हैं, तो नीतियां अधिक संतुलित, मानवीय और दूरदर्शी बनती हैं। जैसा कि कहा गया है–'एक राष्ट्र तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर नेतृत्व करें' और तब कहलाएगा–

"एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र।"

विधान सभा क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों एवं उन्नति के उपाय

सहभागी, योजनाबद्ध और पारदर्शी विकास- संदर्भ झंझारपुर विधान सभा

नीतीश मिश्रा
मंत्री
बिहार सरकार

किसी भी विधान सभा क्षेत्र का विकास एक स्पष्ट दृष्टि, सक्रिय जनभागीदारी, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक समन्वय और निरंतर निगरानी से ही संभव होता है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा स्पष्ट मानना है कि विकास तभी स्थायी और प्रभावी बनता है, जब वह लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं से जुड़ा हो, उनकी भागीदारी से तैयार हो और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए।

झंझारपुर विधान सभा क्षेत्र में इसी सोच के साथ एक सहभागी विकास मॉडल विकसित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें तकनीक, जनसंवाद और जवाबदेही को विकास की मुख्य धुरी बनाया गया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इसी दृष्टिकोण और कार्यशैली के कारण जनता ने मुझे पाँचवीं बार अपना प्रतिनिधि चुनकर मुझ पर अपना भरोसा व्यक्त किया है।

चरण–1 : लोगों से जुड़ाव–विकास की दिशा तय करने की पहली शर्त

किसी भी क्षेत्र के विकास की शुरुआत वहां के लोगों को समझने से होती है। इसी उद्देश्य से झंझारपुर में **"झंझारपुर डेवलपमेंट इनिशिएटिव (JDI)"** की अवधारणा प्रस्तुत की गई। यह पहल सहभागी शासन का एक सशक्त मॉडल है, जिसके माध्यम से गाँव से लेकर वार्ड स्तर तक नागरिकों की राय को विकास योजनाओं का आधार बनाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जनसंवाद कार्यक्रमों और डिजिटल माध्यमों के जरिए नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए, ताकि विकास की प्राथमिकताएँ जनता स्वयं तय करे।

झंझारपुर डेवलपमेंट इनिशिएटिव का मूल उद्देश्य था– **"नीति निर्माण में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना।"** इस पहल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने, क्षेत्रीय पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने और स्थानीय प्रतिभाओं को पहचान दिलाने की दिशा में भी प्रयास किए गए। साथ ही, बेहतर विकास योजना बनाने के लिए क्षेत्र में उपलब्ध सभी मौजूदा आधारभूत संरचनाओं (infrastructure) का मानचित्रण (mapping) भी किया गया, ताकि संसाधनों का अधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

चरण–2 : आवश्यकताओं के आधार पर योजनाबद्ध विकास–प्रशासनिक समन्वय की भूमिका

जब क्षेत्र की आवश्यकताओं की स्पष्ट पहचान हो जाती है, तब अगला चरण उन आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजना तैयार करना होता है। इस दिशा में स्थानीय प्रशासन, विभागीय अधिकारियों और राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया।

झंझारपुर में सड़क, सिंचाई व्यवस्था, शिक्षा संस्थानों की मजबूती, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुधारने जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई। इन प्राथमिकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं को स्वीकृति दिलाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में निरंतर प्रयास किए गए।

चरण–3 : विकास कार्यों की नियमित निगरानी–समयबद्ध क्रियान्वयन की दिशा में प्रयास

विकास योजनाओं की सफलता हेतु नियमित निगरानी अत्यंत आवश्यक है। झंझारपुर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की गई, उसकी जानकारी जनता के साथ साझा की गई और यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया गया कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हों।

डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर विकास कार्यों की प्रगति को

सार्वजनिक करना पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा।

चरण–4 : शिकायत निवारण–जवाबदेह शासन की आधारशिला

किसी भी विकास मॉडल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें जनता की प्रतिक्रिया को कितना महत्व दिया गया है। इसी उद्देश्य से झंझारपुर में शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास किया गया।

"जन सेवा पोर्टल" के माध्यम से नागरिकों को अपनी समस्याएँ दर्ज कराने और उनके समाधान की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथ ही नियमित जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर विकास योजनाओं में आवश्यक सुधार करने की सतत प्रक्रिया अपनाई गई।

तकनीक का उपयोग–पारदर्शिता और जवाबदेही का सशक्त माध्यम

मेरा मानना है कि हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों तथा क्षेत्र के हित में उठाए गए प्रत्येक कदम की जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ अपने मतदाताओं तक पहुँचाए।

इसी उद्देश्य से वर्ष 2009 से www-jhanjharpur-co-in वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है, जिस पर मेरे द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य की विभागवार जानकारी, विधानसभा में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं।

इसके साथ ही, झंझारपुर में वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और "जन सेवा पोर्टल" के माध्यम से विकास कार्यों की जानकारी सार्वजनिक की गई। इससे युवाओं की भागीदारी बढ़ी और शासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हुआ।

सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन–समावेशी विकास की दिशा में कदम

झंझारपुर विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया। इससे सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिए।

स्थानीय पहचान, स्थानीय उत्पाद और पर्यटन–आत्मनिर्भर विकास की दिशा

किसी भी क्षेत्र का समग्र विकास तभी संभव है जब उसकी स्थानीय पहचान और आर्थिक संभावनाओं को मजबूत किया जाए। झंझारपुर में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने, क्षेत्रीय प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने की दिशा में प्रयास किए गए।

निष्कर्ष : सहभागी विकास ही स्थायी विकास का मार्ग

झंझारपुर विधान सभा क्षेत्र में विकास की दिशा में किए गए प्रयास इस विश्वास पर आधारित हैं कि जन भागीदारी के बिना कोई भी विकास मॉडल सफल नहीं हो सकता। **"झंझारपुर डेवलपमेंट इनिशिएटिव (JDI)"**, "जन सेवा पोर्टल", वेबसाइट और डिजिटल संवाद जैसे माध्यमों से एक सहभागी और पारदर्शी विकास मॉडल स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

आगे भी हमारा लक्ष्य रहेगा कि विकास की प्रक्रिया को और अधिक समावेशी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाए, ताकि झंझारपुर न केवल आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी एक आदर्श विधान सभा क्षेत्र के रूप में स्थापित हो सके।

मेरा विश्वास है कि जब विकास की योजनाएँ जनता की सहभागिता से बनती है, प्रशासन उसके क्रियान्वयन में सहभागी बनता है और तकनीक उसके निगरानी तंत्र को मजबूत करती है, तब विकास वास्तव में जनजीवन में दिखाई देने लगता है। यही झंझारपुर मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है।

ई–गवर्नेंस और डिजिटल विधायिकाः
पारदर्शिता की दिशा में बढ़ता कदम

प्रदीप कुमार दुबे
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश, विधान सभा

21वीं सदी को सूचना और प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। इस युग में जीवन का प्रत्येक क्षेत्र तकनीक से प्रभावित हुआ है और शासन व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही है। वर्तमान समय में सूचना और प्रौद्योगिकी ने शासन व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की है। पारंपरिक प्रशासनिक प्रणाली, जो कभी धीमी और जटिल मानी जाती थी, अब डिजिटल तकनीकों के माध्यम से अधिक सरल, तेज और प्रभावी बन रही है। ई–गवर्नेंस और डिजिटल विधायिका इसी परिवर्तन के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं, जो शासन को पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाने में सहायक हैं। इन पहलों के माध्यम से शासन और जनता के बीच की दूरी कम हुई है तथा सेवाओं की उपलब्धता अधिक सुगम हुई है। इस प्रकार, ई–गवर्नेस और डिजिटल विधायिका पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम सिद्ध हो रहे हैं।

ई–गवर्नेस का तात्पर्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को नागरिकों तक सरल, तेज और पारदर्शी रूप में सुगमता से पहुँचाना है। इसके माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को कुशल बनाना, भ्रष्टाचार को कम करना और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है। डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से न केवल सरकारी कार्यों में तेजी आती है, बल्कि शासन के प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ता है। डिजिटल विधायिका का मुख्य उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित कर अधिक तेज, पारदर्शी और सहभागी बनाना है। इसके अतंर्गत कानूनों का मसौदा तैयार करना, चर्चा करना, दस्तावेज साझा करना होता है। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होती है, बल्कि आम नागरिकों को भी विधायी कार्यों की जानकारी आसानी से समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो पाती है। डिजिटल विधायिका लोकतंत्र को अधिक मजबूत और सहभागी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विधायी संस्थाओं का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है। आज विधायिका एक कल्याणकारी संस्था के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इन संस्थाओं को जनता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ता है। विधायी संस्थाएं आधुनिक तकनीकों से युक्त होकर जनहित के कार्यों का निष्पादन कर रही हैं। आज संचार के सशक्त माध्यमों से सभी विधानमंडल एक–दूसरे के निकट आ गए हैं जिससे सभी एक–दूसरे के कार्यकलापों से अवगत हो रहे हैं।

डिजिटल पहल के तहत विधान सभा की कार्यवाही के सजीव प्रसारण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे आम नागरिक भी सदन की कार्यवाही को सुगमता पूर्वक देख कर अपने जन–प्रतिनिधियों की गतिविधियों से अवगत हो सकते हैं। यह लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक कदम है।

ई–गवर्नेस और डिजिटल विधायिका के माध्यम से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में काफी सुधार हुआ है। इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान–प्रदान तेजी से हो रहा है और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी हो गई है। डिजिटल रिकॉर्ड्स के कारण डेटा को सुरक्षित रखना

और उसे आवश्यकता पड़ने पर आसानी से प्राप्त करना संभव हो गया है। इसके साथ ही डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से कार्यों की निगरानी करना भी सुलभ हो गया है जिससे त्रुटियों की संभावना भी कम हो जाती हैं।

हालांकि डिजिटल परिर्वतन से लाभ के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल साक्षरता की कमी है, जिसके समाधान के लिए नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। दूसरी चुनौती साइबर सुरक्षा से जुड़ी है, डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मजबूत सुरक्षा प्रणाली और नियमित निगरानी आवश्यक है।

डिजिटल विधायिका की दिशा में उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भी कई महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक कदम उठाए हैं, जो न केवल कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक हैं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार की आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए ई–विधान व्यवस्था लागू की गई है, जिसके माध्यम से माननीय सदस्य अब डिजिटल साधनों का उपयोग कर अपने क्षेत्र की समस्याओं को अधिक तेजी और प्रभावी ढंग से उठा पा रहे हैं तथा प्रश्नोत्तर, सूचनाएँ और अन्य संसदीय कार्यवाहियों से संबंधित सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है, जिससे कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित और सुलभ बन गई है। इस पहल से सदस्यों को सदन के भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर भी विचार–विमर्श और संवाद के अधिक अवसर मिल रहे हैं, जिससे दलगत सीमाओं से परे राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा संभव हो रही है और विधायिका की भूमिका अधिक प्रभावी बन रही है।

डिजिटल विधायिका के अंतर्गत "पेपरलेस विधान सभा" की अवधारणा को भी आगे बढ़ाया गया है, जिसके तहत कागज के उपयोग को कम करने के लिए सदस्यों को टैबलेट एवं अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे सभी आवश्यक दस्तावेज तुरंत ऑनलाइन प्राप्त हो जाते हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, बल्कि कार्यों के निष्पादन की गति भी तेज होती है। साथ ही, विधान सभा की कार्यवाही का सजीव प्रसारण सुनिश्चित किया गया है, जिससे आम नागरिक भी सदन की गतिविधियों को देख सकते हैं और अपने जनप्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं, जो लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाता है। माननीय सदस्यों को डिजिटल प्रणाली के अनुरूप सक्षम बनाने हेतु ई–गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि विधान सभा भविष्य की उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग विधायी कार्यों को और अधिक सटीक, प्रभावी और पारदर्शी बना सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह पहल केवल तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन की कार्यशैली में व्यापक परिवर्तन का प्रतीक है, जो एक आधुनिक, पारदर्शी, उत्तरदायी और सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि ई–गवर्नेस और डिजिटल विधायिका आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला बनते जा रहे हैं। ये न केवल प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल और तेज बनाते है बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुदृढ़ करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा ई–गवर्नेस और डिजिटल विधायिका की दिशा में उठाए गए कदम राज्य के लोकतांत्रिक ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये कदम उत्तर प्रदेश को एक आधुनिक और पारदर्शी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आने वाले समय में इन प्रयासों से शासन और जनता के बीच की दूरी और भी कम होगी तथा लोकतंत्र और अधिक सशक्त होगा।

वैश्विक संकट की स्थिति में विधान सभा की भूमिका :

खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और कृषि नीतियों का विश्लेषण

आनन्द मिश्र
सदस्य
बिहार विधान सभा

आज की दुनिया एक वैश्विक 'ग्लोबल विलेज' है, जहां हॉर्मुज जलडमरूमध्य में उठने वाली हलचल भी बिहार के किसी दूरदराज गाँव के किसान की रसोई को प्रभावित करती है। भू–राजनीतिक तनाव के इस दौर में, जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ अनिश्चितताओं से घिरे हैं, तब बिहार जैसे राज्य के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल क्षेत्र के विकास तक सीमित नहीं रह जाती, वे राज्य की आंतरिक सुदृढ़ता को राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वावलंबन का आधार बना सकते हैं।

कृषि को वैश्विक तेल संकट और बढ़ती लागत के दबाव से मुक्त करने की दिशा में बिहार सरकार का चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023–2028) एक गेम–चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इस रोडमैप की सफलता केवल सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि खेतों तक पहुचने वाली निर्बाध बिजली और सौर ऊर्जा पर टिकी है। इस परिवर्तनकारी यात्रा में राज्य के विधायकों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो जाती है। ₹1.62 लाख करोड़ के बजट के साथ तैयार यह रोडमैप केवल उत्पादन बढ़ाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि ऊर्जा संकट के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच है। इस योजना का केंद्रीय स्तंभ "सिंचाई का आधुनिकीकरण" है, जिसके तहत शत–प्रतिशत बिजली आधारित नलकूपों का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में, जहाँ सरकार संकट के समय किसानों को ₹60 प्रति लीटर का डीजल अनुदान देकर तात्कालिक राहत पहुँचा रही है, वहीं स्थायी समाधान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म–निर्भरता में निहित है। इसी दिशा में 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' पहुँचाने के संकल्प को अब सौर ऊर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार की पीएम–कुसुम योजना इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो किसानों के खेतों को ऊर्जा उत्पादन के केन्द्रों में तब्दील कर रही है। हमारे पूर्वजों ने सदैव सूर्य को शक्ति का स्रोत मानकर उसकी उपासना की है। आज वही पारंपरिक श्रद्धा सोलर फोटोवोल्टिक पैनल के माध्यम से आधुनिक तकनीक से जुड़ रही है। इससे किसान न केवल अपनी सिंचाई की जरूरतें पूरी कर सकेंगें, बल्कि ग्रिड को अतिरिक्त बिजली बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे।

हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में चतुर्थ कृषि रोडमैप के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे विधानमंडल में कृषि–बिजली कनेक्शनों की प्रक्रिया को तेज करने और सौर संयत्रों के स्थानीय ग्रिड की मांग को प्रभावी ढंग से उठाएं। जब बिहार का किसान डीजल पर निर्भरता छोड़कर सौर ऊर्जा और बिजली पर आत्मनिर्भर हो जाएगा, तब अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में आने वाला कोई भी उतार–चढ़ाव हमारी खाद्य संप्रभुता और विकास की गति को प्रभावित नहीं कर पाएगा। बिहार का 'धान का कटोरा' कहे जाने वाले बक्सर जैसे जिलों के लिए यह रोडमैप एक वरदान है। बक्सर की लगभग 1.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को डीजल मुक्त करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। विशेष रूप से राजपुर, इटाढ़ी और चौसा जैसे क्षेत्रों में, जहाँ किसान नहर के अंतिम छोर पर होने के कारण महंगे डीजल पंपों पर निर्भर हैं, वहाँ पीएम–कुसुम के अंतर्गत सोलर पैनल और बिजली आधारित नलकूप खेती की लागत को 40% तक कम कर सकते हैं, जिससे कृषि अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन सकती है।

बिहार की समृद्धि का मार्ग खेतों से होकर गुजरता है, लेकिन इस मार्ग को आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए हमें पारंपरिक सोच से आगे निकलना होगा। एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा लक्ष्य बिहार के हर जिले को "मॉडल सोलर एग्रो–डिस्ट्रिक्ट" के रूप में विकसित करना होना चाहिए। इस दूरदर्शी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें तीन रणनीतिक स्तरों पर समन्वित कार्य करने की आवश्यकता है। सबसे पहले, हमें हर जिले में सोलर पार्क या बायोगैस प्लांट जैसी स्वतंत्र ऊर्जा इकाइयों की स्थापना के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना होगा। ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता ही कृषि की लागत को कम कर सकती है। दूसरा अनिवार्य कदम है रीयल–टाइम डेटा मॉनिटरिंग के लिए कानून बनाना। डिजिटल इन्वेंटरी के माध्यम से हम रसद, अनाज और ईंधन की उपलब्धता पर सटीक निगरानी रख

सकेंगे, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर किया जा सकेगा। तीसरा, हमारे कृषि महाविद्यालयों को केवल डिग्री देने वाले संस्थानों से ऊपर उठकर 'एग्रो–टेक हब' में बदलना होगा, जहाँ ग्रामीण युवा केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि कृषि–उपकरणों का स्थानीय स्तर पर निर्माण और मरम्मत जैसे व्यावहारिक कौशल भी सीखें, जिससे ग्रामीण उद्यमिता को नई उड़ान मिल सके।

बिहार के समग्र विकास के लिए हमें विश्व की सर्वश्रेष्ठ नीतियों को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालना होगा। दक्षिण कोरिया की स्मार्ट फूड रिजर्व प्रणाली इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से फसल की संभावित कमी का पूर्वानुमान लगाकर उसे समय रहते स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर लिया जाता है। इसी तर्ज पर बिहार को भी एक सशक्त स्थानीय बफर स्टॉक नीति लानी चाहिए। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर माइक्रो–कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं, ताकि टमाटर, प्याज और आलू जैसी जल्दी खराब होने वाली फसलों को सुरक्षित रखा जा सके और किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। जिस प्रकार ओडिशा ने मिलेट्स मिशन के माध्यम से अपनी कृषि की पहचान को नई दिशा दी, उसी प्रकार बिहार को अपनी विशिष्ट फसलों के लिए समर्पित नीति अपनानी होगी।

जर्मनी के बायो–एनर्जी विलेज आज पूरी दुनिया को राह दिखा रहे हैं, जहां गांव राष्ट्रीय ग्रिड पर निर्भर रहने के बजाय अपने जैविक कचरे से ही ऊर्जा पैदा करते हैं। इसी दिशा में बिहार में भी नगर निगमों और पंचायतों के स्तर पर अनिवार्य बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने की नीति आज समय की मांग है, जो कचरा प्रबंधन और रसोई गैस की किल्लत, दोनों का स्थायी समाधान दे सकती है। दूसरी ओर, इजरायल ने सेंसर–आधारित खेती और ड्रिप सिंचाई तकनीक के जरिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी निर्यात योग्य पैदावार कर दिखाई है। बिहार भी अपने 'जल–जीवन–हरियाली' अभियान के तहत सेंसर तकनीक को अनिवार्य कर पानी की हर बूंद का हिसाब रख सकता है। यदि हम इन वैश्विक सफलताओं को बिहार की ऊर्जा सुरक्षा और चतुर्थ कृषि रोडमैप के साथ जोड़ दें, तो हमारा राज्य न केवल देश का पेट भरेगा, बल्कि आधुनिक कृषि–तकनीक का वैश्विक केंद्र भी बन सकता है। यह समय नीतिगत निर्णय लेने का है, ताकि बिहार का किसान अंतरराष्ट्रीय संकटों से अप्रभावित रहकर अपनी मिट्टी से सोना उगा सके।

आज के दौर में 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ केवल चरखा कातने तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल और मॉडर्न आत्मनिर्भरता है। जिस तरह वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बढ़ रही है, ऐसे में भारत को एक सुरक्षित और सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान करने का मार्ग हमारे गाँवों से होकर ही गुजरता है। यदि हम अपने गाँवों को सौर ऊर्जा, बायोगैस और पवन ऊर्जा के विकेंद्रीकृत केंद्रों के रूप में विकसित कर सकें तो अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में होने वाला कोई भी अप्रत्याशित उतार–चढ़ाव हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि की गति को प्रभावित नहीं कर पाएगा। स्वावलंबी गाँव का सपना जैविक खेती और पारंपरिक बीजों की शक्ति में निहित है। बिहार में गंगा नदी के किनारे विकसित किया गया जैविक गलियारा इसी दिशा में एक सराहनीय और दूरदर्शी पहल है।

वैश्विक संकट के समय रसायनों और आयातित उर्वरकों की किल्लत एक बड़ी चुनौती बनकर उभरती है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्कुलर एग्रीकल्चर, प्रिसिजन फार्मिंग और सामुदायिक प्रबंधन आधारित प्राकृतिक कृषि जैसे मॉडलों को न केवल बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि इन्हें एक आंदोलन का रूप देना चाहिए। साथ ही, विधायक निधि और अन्य विधायी कोष का रणनीतिक उपयोग अब स्थानीय स्तर पर स्मार्ट साइलो और आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए होना चाहिए। जब हमारी भंडारण और आपूर्ति प्रणाली स्थानीय स्तर पर मजबूत होगी, तब वैश्विक मंदी की लहरें भी हमारे स्थानीय बाजारों और किसानों की खुशहाली को डिगा नहीं सकेंगी। यही 21वीं सदी का सशक्त ग्राम स्वराज है, जो बिहार को आत्मनिर्भरता के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर सकता है।

भारत का इतिहास समुद्री प्रभुत्व की गौरवशाली गाथाओं से भरा है। राजेंद्र चोल प्रथम की नौसैनिक दूरदर्शिता ने कभी मलक्का जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया था। आज के वैश्विक संदर्भ में, भारत को उसी ऐतिहासिक साहस के साथ आधुनिक कूटनीति के मिश्रण की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि हॉर्मुज जैसे वैश्विक साझा मार्ग अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के अहंकार और आपसी संघर्ष की भेंट न चढ़ें। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की इस नाजुक घड़ी में भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखना होगा। यह समय ऐतिहासिक अनुभवों से सीख लेते हुए अपनी ऊर्जा निर्भरता को विविधता देने और नौसैनिक व कूटनीतिक सामर्थ्य को सुदृढ़ करने का है, ताकि सुदूर समुद्र में ऊठी अशांति की लहरें हमारे विकास की गति को बाधित न कर सकें।

बिहार दिवस : गौरवशाली अतीत से उज्ज्वल भविष्य की ओर

22 मार्च, 2026 को पूरे राज्य में बिहार का 114वां स्थापना दिवस अत्यंत हर्षोल्लास और गौरव के साथ मनाया गया। वर्ष 1912 को इसी दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य का स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसमें तत्कालीन बिहार, झारखण्ड और उड़ीसा राज्य शामिल थे।

तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा आरंभ की गई इस गौरवशाली परंपरा के अंतर्गत, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में **'उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार'** थीम पर दिनांक 22 से 24 मार्च, 2026 तक एक भव्य त्रि–दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया।

बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुर एवं कला के संगम ने आयोजन को यादगार बना दिया। पटना के गांधी मैदान, श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल एवं रवीन्द्र भवन में लोक कला, शास्त्रीय संगीत, कवि सम्मेलन सहित अन्य प्रस्तुतियों का अद्भुत समागम देखने को मिला। इस अवसर पर पूरा गांधी मैदान उत्साह और उमंग में डूबा नजर आया, जहां मशहूर गायक शान के सुरों ने लोगों पर जादुई प्रभाव डाल दिया। जय बिहार के उद्घोष के साथ कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए शान ने युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अपने सदाबहार गीतों से थिरकने को मजबूर कर दिया।

मंच पर बिहार बाल भवन किलकारी के बच्चों ने बिहार राज्य गीत–

"मेरे भारत के कंठहार तुझको शत–शत वंदन बिहार–2

तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र ....!

गाते हुए नृत्य के जरिए प्रदेश की लोक संस्कृति से उपस्थित जनमानस को अवगत कराया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम को यादगार बनाते हुए पार्श्व गायिका सोना मोहपात्रा ने अपने दमदार गीतों द्वारा दर्शकों में समा बांध लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। सोना मोहपात्रा ने बिहार दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि उन्हें दस वर्षों बाद बिहार आने का अवसर मिला है, बिहार के बेटे–बेटियाँ एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार सरकार को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार एक राज्य नहीं सभ्यता है।

रवीन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शास्त्रीय संगीत की मधुर धुनों ने सभी का मन मोह लिया।

दरभंगा घराने के मल्लिक बधुओं ने शास्त्रीय संगीत के जरिये सभी को आकर्षित किया। इस दौरान कवियों ने हास्य–रस, वीर–रस और श्रृंगार रस की कविताओं से श्रोताओं को मंत्र–मुग्ध कर दिया।

श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में 'आम्रपाली' व 'बुद्धचरित' की भावपूर्ण नृत्य–नाटिकाओं ने शांति संदेश को जीवंत किया। नृत्य–नाटिका के जरिए कलाकारों ने भगवान बुद्ध के चरित्र को मंच पर साकार किया। डॉ. एन. विजयालक्ष्मी (अपर मुख्य सचिव, बिहार) ने भरतनाट्यम के जरिये भगवान बुद्ध की कहानी को मंच पर जीवंत करने के साथ ही दर्शकों को शांति और प्रेम का संदेश दिया। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में समापन की शाम गायक पापोन के सुरीले नगमें यादगार बन गई।

प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला 'बिहार दिवस' न केवल एक राज्य के ऐतिहासिक गठन का जश्न है, बल्कि यह उस महान भूमि के पुण्य स्मरण का भी पावन अवसर है, जिसने सदियों तक संपूर्ण विश्व को ज्ञान, साधना, अहिंसा और प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित किया है। बिहार दिवस के मौके पर बिहार विधान सभा अध्यक्ष, डॉ. प्रेम कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए रेखांकित किया कि बिहार दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि उन महान विभूतियों के प्रति हमारे कृतज्ञता का पावन पर्व भी है, जिन्होंने इस धरती को अपनी साधना, तपस्या और बलिदान से पवित्र एवं गौरवान्वित किया है। यह दिवस हमें स्मरण कराता है कि हम उस महान परंपरा के गर्वित उत्तराधिकारी हैं जिसने न केवल भारत को, बल्कि समस्त मानवता को नई दिशा, नई दृष्टि और नई चेतना दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने वैशाली का उल्लेख करते हुए याद दिलाया कि वैशाली को प्रथम गणतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। यहीं से उस लोकतांत्रिक चेतना की नींव रखी गई थी, जो आज समूचे विश्व के राजनीतिक ढांचे का

आदर्श है। बौद्धिक संपदा और ज्ञान परंपरा की बात करें, तो आचार्य चाणक्य की कूटनीति, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक एवं गणितीय सिद्धांत आज भी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा की वह अमर परंपरा स्थापित की, जिसने सदियों तक पूरी दुनिया के विद्वानों को नीति, विज्ञान और विद्या का अमृत पान कराया।

बिहार की मिट्टी में करुणा, शांति और त्याग की महक रची–बसी है। यह वही पावन भूमि है, जहां बोधगया में भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने समूची मानवता को अहिंसा और शांति का शाश्वत संदेश दिया। इसी धरा पर स्थित वैशाली में भगवान महावीर ने विश्व को त्याग, तपस्या और करुणा का दिव्य उपदेश देकर मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। युगों–युगों से इस धरती ने भटकी हुई मानव सभ्यता को नई दिशा और आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करने का महती कार्य किया है।

वस्तुतः 'बिहार दिवस' केवल एक औपचारिक उत्सव या सांस्कृतिक आयोजन भर नहीं है। इसका मूल उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक गरिमा को पुनर्स्थापित करना और प्रत्येक बिहारवासी के हृदय में गर्व व स्वाभिमान की भावना को नई ऊर्जा प्रदान करना है। यह दिन उन महान विभूतियों, विचारकों और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी साधना, तपस्या और बलिदान से इस धरती का गौरव पूरे विश्व में स्थापित किया है।

"बिहार दिवस हमें अतीत के गौरव से प्रेरणा लेकर समृद्ध और आत्मनिर्भर बिहार निर्माण का संकल्प देता है।"

रंजय कुमार
प्रशाखा पदाधिकारी

अदम्य साहस की अमर कहानी

पर्वत पुरूष : दशरथ मांझी

बिहार की धरती से निकले एक ऐसे कर्मवीर पुरूष जिन्होंने अपने अदम्य साहस और अटूट संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया। 'पर्वत पुरूष' के नाम से विख्यात दशरथ मांझी जिनका जीवन केवल संघर्ष की गाथा नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि यदि दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कोई भी बाधा हमें लक्ष्य की प्राप्ति से रोक नहीं सकती।

दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी, 1934 को गया जी जिले के गहलौर में एक गरीब परिवार में हुआ। पिता मंगरू मांझी तथा माता पचिया देवी के पुत्र दशरथ मांझी का बचपन अभावों में बीता और जीविका के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा। ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और पहाड़ों से घिरे क्षेत्र की समस्याओं को उन्होनें निकट से देखा। गहलौर पर्वत के कारण गांव वालों को मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव था। उन्हें अस्पताल, बाजार और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ता था। दशरथ मांझी की पत्नी फागुनी (जिसे दशरथ मांझी प्यार से फगुनिया पुकारते) भी रोज पहाड़ का बड़ा चक्कर लगाकर दूसरी ओर जंगल में लकड़ी काट रहे अपने पति को खाना पहुंचाती थी। वह प्रायः रास्ते के पत्थरों से चोटिल हो जाया करती। दशरथ की बड़ी बिटिया लौंगी के जन्म के समय फागुनी की हालत बिगड़ने पर दाई ने जिला अस्पताल जाने की सलाह दी ...... मगर वह विकराल पर्वत ....। अंततः जीवन रक्षा स्वयं भगवान ने ही की। पत्नी की पीड़ा और गहलौर पहाड़ के कठिन रास्तों से लगने वाली चोटों के कारण दशरथ का मन प्रायः अशांत हो जाया करता।

विशाल पर्वत के कारण रास्ता लंबा होने से पत्नी फागुनी को समय से उपचार न मिल पाने से दशरथ मांझी व्यथित हो उठे। पहाड़ उन्हें एक दैत्य के समान लगने लगा। उनके भीतर की वेदना ने एक संकल्प को जगा दिया। एक साधारण मनुष्य असाधारण कर्मपथ पर अग्रसर हो चला।

उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि वे इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनायेंगे, ताकि भविष्य में किसी और को ऐसी कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

दशरथ मांझी अकेले ही गहलौर पहाड़ी के बीचो–बीच दर्रे के पास छेनी, हथौड़ा और कुदाल लेकर पहुंच गये। यह कार्य केवल शारीरिक श्रम का नहीं, बल्कि अदम्य साहस, धैर्य और प्रण का था। पहले तो गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आया। वे हंसते, मजाक उड़ाते, फब्तियां कसते......, लेकिन दशरथ इन सबसे बेपरवाह अपने काम में दिन–रात लगे रहते।

यह घटना लगभग वर्ष 1960 की रही होगी। लगभग तीस साल की उम्र में दशरथ मांझी ने यह भागीरथ प्रयास शुरू किया था। दिन–पर–दिन बीतते गये – फिर सप्ताह – माह और फिर 22 वर्ष (1960–1982) की अथक मेहनत के बाद गहलौर की पहाड़ी के बीचो–बीच लगभग 360 फीट लम्बा 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा रास्ता तैयार हो गया, जिससे गया जी जिले के अतरी और वजीरगंज के बीच की दूरी 55 कि.मी. से घटकर 15 कि.मी. मात्र रह गयी। कल तक, जो गांव वाले दशरथ मांझी को पगला बाबा कहते थे, अब गौरव से उन्हें मांझी बाबा कहने लगे। दूर–दूर गांव के लोग यह असंभव कृत्य देखने आने लगे।

यह चमत्कार दशरथ मांझी द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया गया संकल्प का नतीजा था। चाहे इसके मूल में उनकी पत्नी का प्रेम रहा हो या उनकी व्यथा के कारण लिया गया संकल्प। बस अफसोस इतना भर रहा कि जो फागुनी देवी जिस महान कार्य की प्रेरणा स्रोत बनी थी, वह पति को उनके लक्ष्य के साथ अकेला छोड़ चली गयी थी।

दशरथ मांझी की यह कृति धीरे–धीरे पूरे देश में चर्चित हुई। दशरथ मांझी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तब उनके चमत्कार के बारे में जानकर श्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और अभिभूत होकर दशरथ मांझी को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। इस दृश्य को देखकर आस–पास के लोग भी आवाक रह गये तथा इसकी प्रशंसा राज्यभर में हुई। इस घटना पर तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने कहा – इतने महान व्यक्तित्व का सम्मान मैं भला और कैसे करता!

दशरथ पर मान–सम्मान की वर्षा होने लगी। बिहार सरकार द्वारा उन्हें विशेष सार्वजनिक सम्मान दिया गया। जनता ने इन्हें 'पर्वत पुरूष' की लोक उपाधि देकर अमर सम्मान दिया।

सरकार द्वारा दशरथ मांझी के सपने को साकार करने हेतु उनके द्वारा बनाये गये रास्ते को पक्की सड़क करने एवं उनके गांव को सभी सुविधाओं से युक्त करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन इस सपने को पूरे होते दशरथ मांझी इंतजार नहीं कर सके। 17 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अपनी अंतिम सांसें ली। बिहार सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। उनके द्वारा बनाये गये रास्ते को बाद में सरकारी सड़क से जोड़ा गया। दशरथ मांझी स्मृति भवन विकसित किया गया। गांव के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए योजनायें बनाकर – सामुदायिक भवन, विद्यालय उन्नयन, पेयजल व्यवस्था, पर्यटन सुविधायें, स्मारक परिसर एवं गहलौर में उनकी प्रतिमा और स्मारक स्थापित की गयी।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। जुलाई 2012 में फिल्म निर्देशक केतन मेहता ने दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित फिल्म ''मांझी : द माउंटेन मैन'' बनाने की घोषणा की। 21 अगस्त, 2015 को फिल्म रिलीज़ हुई। मार्च 2014 में प्रसारित टी.वी. शो सत्यमेव जयते का सीजन–2 जिसकी मेजबानी आमिर खान ने की, उनका पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया गया।

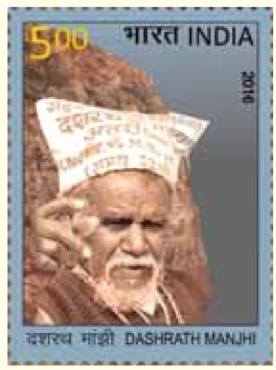

''पहाड़ मुझे कभी उतना ऊँचा नहीं लगा, जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज्यादा ऊँचा कोई नहीं होता।''

दशरथ मांझी का यह प्रसिद्ध कथन हमें आज भी प्रेरित करता है।

दशरथ मांझी का जीवन हमें कई शिक्षाएं देता है। सबसे महत्वपूर्ण है – दृढ़ संकल्प और धैर्य। उन्होंने यह सिद्ध किया कि लक्ष्य के प्रति समर्पण यदि सच्चा हो तो कोई भी बाधा मार्ग में अवरोध नहीं बन सकती।

''दशरथ मांझी ने यह सीख दी कि दृढ़ इच्छाशक्ति के आगे पर्वत भी झुक जाते हैं।''

राजीव रंजन कुमार
प्रशाखा पदाधिकारी

योग नगरी : मुंगेर

योग नगरी नाम से दुनिया के लोगों में आकर्षण का केंद्र आज का "मुंगेर" अपने पौराणिक नाम 'मुद्गलगिरी', महाभारत कालीन नाम 'मोदागिरी', मध्यकालीन नाम 'मुंगिर' और अंग्रेजों द्वारा लिखा गया MONGHYR के रूप में जाना जाता रहा है। मुंगेर की धरती एक ऐतिहासिक सभ्यता की उद्घोषणा करता हुआ अपने आप में एक अनूठा और अद्भुत, प्रमंडलीय शहर है।

मुंगेर की धरती अपनी भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक अवदान के साथ ही वेद कालीन महर्षि मुद्गल की तपःस्थली रही है। ऋग्वेद में महर्षि मुद्गल के सूक्त का उल्लेख है। मुंगेर में उत्तरवाहिनी गंगा के दक्षिणी किनारे पर स्थित "कष्टहरणी गंगा घाट", काशी स्थित दशाश्वमेध घाट के समकालीन है। गंगा किनारे विकसित हुए शहर प्रयागराज, वाराणसी, पाटलीपुत्र एवं मुंगेर का विवरण धर्म ग्रंथों में भरा पड़ा है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों के मुंगेर से होकर गुजरने का विवरण प्राचीन ग्रंथों में मौजूद हैं। मुंगेर से संबंधित ऐतिहासिक विवरण 7 वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेन सांग और 11 वीं शताब्दी के अरबी यात्री अल बरूनी के यात्रा वृतांत में भी पाया जाता है।

आठवीं शताब्दी के प्रसिद्ध पालवंशीय राजा धर्मपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया एवं उनके पुत्र राजा देवपाल ने मुंगेर से शिलालेख जारी किए जो मुंगेर कॉपर प्लेट के नाम से प्रसिद्ध है।

मध्य काल में मुंगेर पर खिलजी वंश एवं मुगल वंश का शासन रहा। इस काल में मुंगेर अनेक महत्वपूर्ण युद्धों एवं संघर्षों का साक्षी रहा। आधुनिक काल में सन् 1762 में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। उनके द्वारा मुंगेर में बन्दूक एवं बारूद के कारखाने लगाये गए। कुछ ही समय बाद मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष होने लगा जिसमें अंततः अंग्रेजों की जीत हुई और मुंगेर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया।

प्राकृतिक बनावट

मुंगेर की भौगोलिक अवस्थिति ही कुछ ऐसी है कि यहाँ से जलमार्ग और स्थल मार्ग, दोनों पर समान रूप से नियंत्रण रखा जा सकता है। यही कारण है कि पालवंशीय शासन काल में ही सामरिक दृष्टि से गंगा किनारे 'जयस्कंधावर' स्थापित किया गया। मुंगेर को कई प्राचीन एवं मध्यकालीन राजाओं की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है।

रवीन्द्रनाथ टैगोर का भी मुंगेर से गहरा संबंध था, खासकर पीरपहाड़ क्षेत्र से, जहाँ वे अक्सर आते–जाते और ठहरते थे और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी काव्य गीतांजलि के कुछ गीतों की रचना मुंगेर में ही की। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसी प्रसिद्ध रचना 'गीतांजलि' के लिए मिला था।

मुंगेर का किला 222 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल, ऐतिहासिक किला है। वर्तमान में इस किला परिसर में मुंगेर की दीवानी अदालत, जेल एवं अन्य प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय अवस्थित है। मुंगेर को सन 1832 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जिला का दर्जा दिया गया। तदोपरांत मुंगेर जिले से ही 1971 में बेगूसराय, 1981 में खगड़िया, 1991 में जमुई एवं 1994 में लखीसराय और शेखपुरा जिला बनाया गया।

प्रमुख संस्थान एवं पर्यटन स्थल

बिहार स्कूल ऑफ योगा – विश्व का प्रथम योग विद्यालय

मुंगेर में स्थित बिहार स्कूल ऑफ योगा, योग शिक्षा और आध्यात्मिक विकास का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा 1964 में स्थापित यह संस्थान पारंपरिक योगिक पद्धतियों को आधुनिक जीवनशैली तकनीकों के साथ मिलाकर विश्वभर के योग प्रेमियों के लिए एक प्रमुख केन्द्र बन गया है। गंगा किनारे बसा हुआ यह परिसर हरे–भरे वातावरण से घिरा हुआ है, जो गहन ध्यान और आत्म–खोज के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है।

इस विश्वविद्यालय में योग के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाता है और हठ योग, राज योग, कर्म योग और भक्ति योग सभी की एकीकृत शिक्षा दी जाती है। वर्ष 2019 में इसे योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पूर्व वर्ष 2017 में बिहार योग विद्यालय के प्रमुख स्वामी निरंजनानंद सरस्वती को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

भीम बांध : एशिया के सबसे सुंदर प्राकृतिक स्थलों में एक

भीम बांध में घने, खूबसूरत पेड़–पौधों से घिरी तीन पहाड़ियाँ हैं, जहाँ उष्ण–शीतल दो जल धाराएँ आकर मिलती हैं । गरम और ठंडे जल के सम्मिश्रण में स्नान का आनंद लेने के लिए देश में कोई दूसरा स्थान नहीं है। यहाँ के जंगलों में कलरव करते जंगली जानवरों का दृश्य लोगों को बार–बार यहाँ आने के लिए बाध्य करता है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से यह स्थान रमणीक है। इसकी खूबसूरती का वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग, बुकानन सहित अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने भी किया है। ह्वेनसांग के अनुसार सातवीं शताब्दी में यह क्षेत्र वनों की सघनता के कारण 'हरा पर्वत' (हिरण्यपर्वत) कहलाता था। मुंगेर जिला गैजेटियर के अनुसार भीम बाँध एशिया के सबसे सुंदर प्राकृतिक स्थानों में एक है।

प्रातः काल और संध्याकाल में जब गर्म जल के झरनों से वाष्प ऊपर उठता है तो घने कुहरे जैसा दिखाई पड़ता है। गर्म पानी के झरनों को लेकर यह पर्यटन–स्थल केवल बिहार के लोगों को ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों को आकर्षित करता है। खासकर पानी में सल्फर की मात्रा अत्यधिक रहने के कारण चर्मरोग के मरीजों के लिए भीम बांध के झरनों में स्नान करना फायदेमंद होता है। यहाँ आने वाले हर उदास मन को इतनी शांति मिलती है कि लोग बार–बार यहाँ आना पसंद करते हैं।

भीम बांध की ऐतिहासिक तथा पौराणिक दंत–कथाओं पर नजर डाला जाए तो कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम ने इसी स्थान पर एक वर्ष बिताया था। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध मुंगेर जिला के भीतर कर्णचौड़ा (चौमासा) बिताने के लिए इसी जंगल से गुजर रहे थे, तभी अंगुलिमाल महात्मा बुद्ध से मिला था।

लगभग 680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह वन सन 1966 से भीम बाँध वन्य प्राणी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित है। इस सघन वन में एक पर्यवेक्षण मीनार भी है, जहाँ से प्रकृति के नयनाभिराम दृश्य देखे जा सकते हैं।

मुंगेर किला

मुंगेर किला, गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एक चट्टानी पहाड़ पर बना है। इस किला का लंबा इतिहास रहा है, जिसपर प्राचीन काल से विभिन्न राजवंशों और शासकों का शासन रहा है। मुगल शासनकाल में इस किला का व्यापक विस्तार किया गया और इसे एक मजबूत सैन्य गढ़ बनाया गया। यह किला 222 एकड़ के क्षेत्र में फैला है जिसकी परिधि 4 किमी लंबी है। किला की भीतरी दीवारें 4 फीट मोटी हैं एवं बाहरी दीवारें 12 फीट मोटी हैं । किला के चारों ओर 175 फीट चौड़ी खाई है, जिससे किला की सुरक्षा और भी बढ़ जाती है। इस अष्टकोणीय किले में प्राचीरों के साथ चार प्रवेश द्वार हैं। मुख्य द्वार जिसे लाल दरवाजा कहा जाता है, अभी भी अच्छी स्थिति में है।

यदि मुंगेर की गंगा के सौन्दर्य को देखना हो तो गंगा की बाँक के समीप स्थित दुर्ग के किसी ऊँचे स्थान पर खड़े होकर देखें। वहाँ से गंगा के अनुपम रूप का दर्शन होता है। मेखलाकार फैली हुई गंगा शिव के वक्ष पर सुशोभित हार के समान प्रतीत होती है। गंगा का एक नाम मालिनी यहाँ सार्थक होता दिखाई पड़ता है।

–"मुंगेर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल" पुस्तक से उद्धरित : लेखक–रामरघुवीर

खड़गपुर झील

खड़गपुर झील मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर से लगभग 3 किमी दूर स्थित एक सुंदर जलाशय है। यह झील लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और चारों और पहाड़ से घिरी हुई है। यहाँ बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।

जमालपुर रेल कारखाना

8 फरवरी 1862 को ब्रिटिश सरकार द्वारा जमालपुर में स्थापित रेल कारखाना को देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप होने का गौरव प्राप्त है। शुरुआती दौर में यहाँ इंग्लैंड से आने वाले रेलवे इंजन की मरम्मती का कार्य किया जाता था परंतु सन 1880 से यहाँ नए इंजन बनाने का भी कार्य प्रारम्भ हो गया। इस कारखाने द्वारा सन 1899 में देश का पहला वाष्प इंजन "लेडी कर्जन" बनाया गया। देश का प्रथम स्टील फाउण्डरी भी यहीं बनाया गया। सन 1961 में इसी कारखाने में भारत की पहली स्वदेशी रेल क्रेन का निर्माण किया गया। आज भी इस कारखाने में 10,000 से भी अधिक कर्मी कार्यरत हैं।

विश्वप्रसिद्ध 'द इंडियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इरमी)' भी इसी रेलवे कारखाने से संबद्ध है।

चण्डिका स्थान

मुंगेर के उत्तर–पूर्वी कोने पर स्थित चण्डिका स्थान, देवी शक्ति को समर्पित इक्यावन शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि माँ सती की बायीं आँख यहाँ गिरी थी और यहाँ पूजा करने वाले को आँखों के दर्द से मुक्ति मिलती है। चण्डिका स्थान से जुड़ी एक और किंवदंती अंगराज कर्ण के बारे में है, जो प्रतिदिन देवी चंडी माता की पूजा करने के उपरांत खौलते घी के कड़ाहे में कूद जाते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ उन्हें पुनर्जीवन प्रदान करती थीं। पुनर्जीवित होते ही उन्हें कड़ाह में डेढ़ मन सोना मिल जाता था जिसे वो प्रजा में बांट दिया करते थे।

सीता कुंड

मुंगेर का सीता कुंड तप्त जल का कुंड है। इसके बारे में माना जाता है कि अग्नि परीक्षा के बाद देवी सीता ने यहीं स्नान किया था। इस गर्म पानी में औषधीय गुण पाये जाते हैं।

ऋषि कुंड

ऋषि कुंड एक खूबसूरत गर्म जल का झरना है जो खड़गपुर पहाड़ी की दो चोटियों के बीच अवस्थित है। यहाँ के गर्म जल में स्नान करने व उसके सेवन से उदर रोग एवं चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। दंत कथाओं के अनुसार इस स्थान पर ऋषि विभांडक का आश्रम था। प्रत्येक तीन वर्ष पर यहाँ मलमास मेला लगता है।

सीता चरण

सीता चरण कष्टहरणी घाट से करीब 2 मील की दूरी पर नदी में स्थित एक चट्टान है। पत्थर में दो चरणों का निशान है, जिसे सीता माँ का चरण माना जाता है। यह चट्टान 250 मीटर लम्बा और 30 मीटर चौड़ा है। मान्यता है कि लंका विजय के उपरांत माँ सीता ने यहाँ सर्वप्रथम छठ व्रत किया था।

बड़ी दुर्गा स्थान

मुंगेर के शादीपुर में स्थित बड़ी दुर्गा स्थान 100 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मंदिर है जो नवरात्रि के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी दुर्गा माता के विसर्जन के दौरान होने वाली शोभा यात्रा देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है।

बड़ा महावीर मंदिर

मुंगेर जिले का बड़ा महावीर मंदिर हनुमान भक्तों के बीच काफी मशहूर है। इस मंदिर में गेरुआ रंग से रंगे भगवान हनुमान, राम और लक्ष्मण के साथ मंदिर में विराजे हुए हैं। जिले में जितने भी प्रतिमाएँ स्थापित होती है, सभी को विसर्जन से पहले बड़ा महावीर मंदिर पर आना अनिवार्य है।

कष्टहरणी घाट

मुंगेर में गंगा नदी अपनी दिशा बदलकर उत्तर की ओर बहने लगती है। इस उत्तरवाहिनी गंगा पर स्थित कष्टहरणी घाट हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र तीर्थ है। माना जाता है कि इस घाट पर स्नान करने से सभी दुख दूर होते हैं।

काली पहाड़ी

मुंगेर जिले के जमालपुर में स्थित काली पहाड़ी एक प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थल है। यह मनोरम प्राकृतिक दृश्यों, महाभारतकालीन मान्यता वाले प्रसिद्ध यमला काली मंदिर और पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है जहाँ नववर्ष पर भारी भीड़ उमड़ती है।

वानिकी महाविद्यालय मुंगेर

बिहार वानिकी महाविद्यालय (BFCRI) वानिकी, पर्यावरण विज्ञान, वन्यजीव विज्ञान और कृषि वानिकी शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए समर्पित एक प्रमुख संस्थान है । यह इस प्रकार का देश का द्वितीय एवं बिहार राज्य का प्रथम संस्थान है।

मीर कासिम की गुफा

मीर कासिम की गुफा गंगा तट पर कष्टहरणी घाट के पास स्थित एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी सुरंग है। 1760 के दशक में नवाब मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने और सुरक्षित छिपने के लिए निर्मित यह गुफा, आज मुंगेर में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है।

मछली तालाब

मुंगेर का मछली तालाब एक पानी से भरा कुंड है जिसके बीचों बीच भगवान शिव का मंदिर है। इस कुंड में छोटी–बड़ी कई मछलियाँ हैं जो साफ पानी की वजह से बिल्कुल स्पष्ट दिखती हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक मछली को सत्तू जरूर खिलाते हैं।

श्रेणी	विवरण
प्रमंडल	मुंगेर प्रमंडल
जिला मुख्यालय	मुंगेर
क्षेत्रफल	1419.7 वर्ग किमी
जनसंख्या	13,67,765
अनुमंडल	03
प्रखंडों की संख्या	09
पंचायतें	101

प्रज्ञाग्नि
प्रशाखा पदाधिकारी

मुंगेर जिला के जनप्रतिनिधि

श्री सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री , बिहार
विधायक , तारापुर 164

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह

केन्द्रीय मंत्री , पंचायती राज एवं मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी
सांसद, मुंगेर

श्री कुमार प्रणय

विधायक , मुंगेर
165

श्री नचिकेता

विधायक , जमालपुर
166

बिहार स्कूल ऑफ योगा

श्री बड़ी दुर्गा महारानी जी मुंगेर

शक्तिपीठ माँ चण्डिका स्थान

बड़ा महावीर मंदिर

सीता चरण

सीता कुण्ड

मुंगेर किला

कष्टहरणी घाट

ऋषि कुण्ड

मगही महोत्सवः भाषा, संस्कृति और विरासत

इतिहास गवाह है कि किसी भी सभ्यता की रीढ़ उसकी अपनी मातृभाषा होती है। मगध की वह महान भूमि, जिसने विश्व को बुद्ध का करुणा–संदेश, मौर्य वंश का अखंड साम्राज्य और नालंदा का वैश्विक ज्ञान दिया, उसकी आत्मा 'मगही' भाषा में बसती है। राजधानी पटना के 'बापू टावर' में दिनांक–28 एवं 29 मार्च, 2026 को आयोजित दो दिवसीय 'मगही महोत्सव 2.0' केवल एक आयोजन मात्र नहीं था, बल्कि यह मगही भाषी करोड़ों लोगों की अस्मिता को संवैधानिक और सामाजिक पटल पर पुनर्स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम था। 'मगही कनेक्शन' के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव ने यह सिद्ध कर दिया कि लोकभाषा की जड़ें इतनी गहरी होती हैं, जिसे आधुनिकता की आंधी से मिटाया नहीं जा सकता।

महोत्सव का शुभारंभ बापू टावर, पटना में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष ने मगही के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की। उनके संबोधन के एक–एक शब्द में मगध का गौरवबोध झलक रहा था। उन्होंने मगही महोत्सव को मगही भाषा, उसकी संस्कृति एवं परंपराओं तथा लोक जीवन का जीवंत उत्सव बताया।" अपनी पुरानी स्मृतियों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वे मगही महोत्सव के पहले संस्करण का भी हिस्सा रहे थे, और आज इस मंच पर पुनः उपस्थित होना उनके लिए मगध के सांस्कृतिक गौरवबोध से जुड़ने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने मगही भाषा के संबंध में कहा कि बिहार की प्रमुख भाषाओं में मगही का महत्वपूर्ण स्थान है, जो अपनी मिठास और समृद्ध विरासत को समेटे हुए है। इसे शिक्षा, साहित्य और

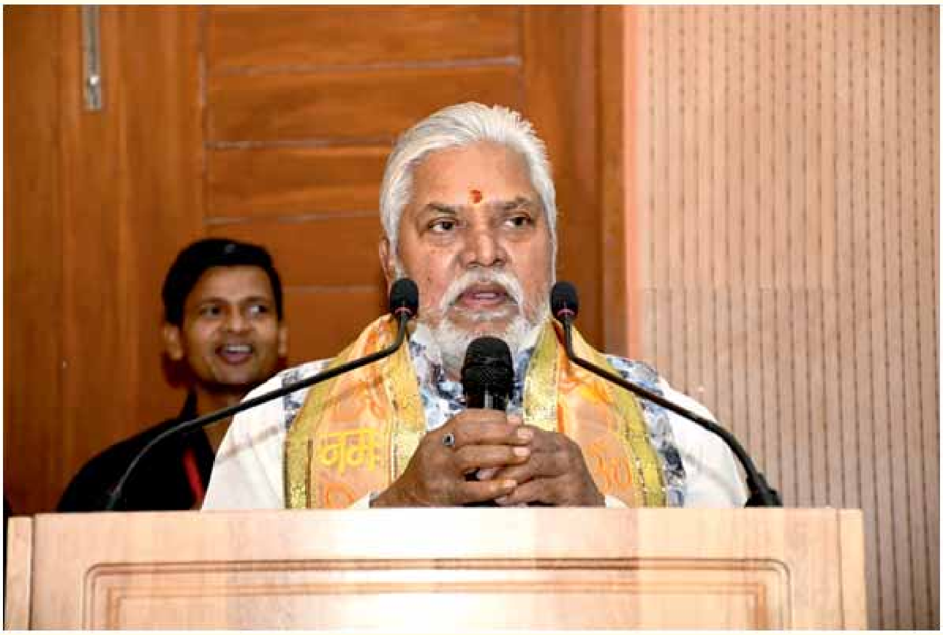

डॉ. किरण कुमारी शर्मा और डॉ. दिलीप कुमार ने स्पष्ट किया कि मगही को यदि प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाए, तो बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी। इसे 'रोजगारपरक' बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और कंटेंट निर्माण से जोड़ना अनिवार्य है।

इसी क्रम में श्री पृथ्वीराज सिंह की पुस्तक **''मगह देस है कंचनपुरी''** का लोकार्पण हुआ। इस सत्र का संचालन डॉ० उज्जवल ने किया ।

दैनिक जीवन में स्थान देने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा तथा नई पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करना होगा। यह महोत्सव लोगों को भाषा और संस्कृति से जोड़ने का एक सांस्कृतिक आंदोलन है।

महोत्सव में भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि की भी उपस्थिति रही। उन्होंने अपना पूरा संबोधन 'मगही' भाषा में ही दिया। साथ ही बहुत ही व्यावहारिक पक्ष रखते हुए कहा कि मगही की समृद्धि किसी अकादमी के भरोसे नहीं, बल्कि 'घरों के संवाद' के भरोसे टिकेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि अभिभावक अपने बच्चों के साथ घर में मगही में बात करेंगे, तभी यह भाषा सदियों तक जीवंत और सशक्त बनी रहेगी। पटना की मेयर सीता साहू ने भी मगही को एक समृद्ध धरोहर बताते हुए नगर निगम की ओर से सांस्कृतिक संरक्षण का पूर्ण भरोसा दिलाया।

महोत्सव का पहला दिन केवल उत्सव तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें गंभीर अकादमिक विमर्श भी हुआ। ''मगही भाषा के उत्थान : चुनौतियां और समाधान'' विषय पर आयोजित पहले सत्र में विद्वानों ने कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे, विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि मगही के शब्दकोश और व्याकरण का मानकीकरण समय की मांग है।

बॉलीवुड के कई कलाकारों ने मगही महोत्सव में लिया हिस्सा–

मगही महोत्सव के पहले दिन बॉलीवुड के कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। इनमें कई कलाकार पटना और मगध क्षेत्र के ही निवासी हैं। जिनमें आरूष वर्मा (OMG 2 फिल्म के एक्टर) सुहानी सेठी (एक्ट्रेस), श्रुति वर्मा (प्रोडयूसर) एवं फलक खान (एक्ट्रेस) हैं। इनके अलावा इन्फ्लूएंसर रॉकी शर्मा, आशीष कौशिफ, समाजसेवी मुकेश हिसारिया, खुशी क्लासेज के संचालक मुकेश चौहान ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन आर. जे. विजेता ने किया। अंतिम सत्र में प्रसिद्ध लोकगायिका चंदन तिवारी ने अपने मगही गायन की प्रस्तुति से मन मोह लिया।

मगही भाषा और संस्कृति को वैश्विक व आधुनिक स्वरूप देने के लिए कार्यक्रम के दूसरे दिन मगही फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दरम्यान मगही लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता दिसम्बर, 2025 के विजेताओं की घोषणा की गई। इस प्रतियोगिता में कुल 48 फिल्मों की प्रविष्टि आई थी, जो एक रिकार्ड है। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखक शैवाल जी, बॉलीवुड फिल्मों के निदेशक

अभिलाष शर्मा और फिल्म अभिनेता बुल्लू कुमार शामिल रहे। प्रतियोगिता में सामाजिक सरोकारों वाली फिल्मों को काफी सराहा गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार– **'दोस्ती'** फिल्म को प्राप्त हुआ, जो ग्रामीण परिवेश में लड़कियों की शिक्षा के महत्व को दर्शाती है। द्वितीय स्थान **'एक कप चाह'** और तृतीय स्थान **'आशाएं'** को प्राप्त हुआ।

मगही फिल्म महोत्सव ने यह साबित कर दिया कि यह भाषा अब केवल लोकगीतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पर्दे पर आधुनिक कहानियों को कहने का सामर्थ्य रखती है।

बॉलीवुड की धमक :

मगध की मिट्टी से निकलकर मायानगरी में नाम रोशन करने वाले कई कलाकारों की उपस्थिति ने युवाओं में नया उत्साह भरा। महोत्सव में शैवाल जी ने यह जानकारी दी कि पहली मगही फिल्म 1961 में ''भैया'' बनी थी। इसके लंबे अंतराल के बाद 'देवन मिसिर' और 'स्वाहा' जैसी फिल्म बनी और इस क्षेत्र में निरंतरता की आवश्यकता है।

सांगीतिक विरासत और लोक रंग

गया घराने की गायकी ने यह सिद्ध कर दिया कि मगही में केवल मिठास ही नहीं, बल्कि शास्त्रीय गंभीरता भी है। पंडित सतीश शर्मा की राग भैरवी और ठुमरी– **''सुतल सइयां के जगावे कोयलिया हो तोरी मीठी बोलिया.........''** ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। गया घराने के ही राजन सिजुआर ने संगीत शिक्षा के लिए 'गुरुकुल' की स्थापना का सुझाव दिया, जो इस विरासत को बचाने के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।

दो दिनों तक चले इस 'मगही महोत्सव' ने यह स्पष्ट कर दिया कि मगही अब केवल गांवों की पगडंडियों या बूढ़े–बुजुर्गों की चर्चा तक सीमित नहीं है। यह सिनेमा के पर्दों और डिजिटल सोशल मीडिया पर अपनी जगह बना चुकी है। यह महोत्सव भाषायी अस्मिता की उस मशाल को जलाए रखने का संकल्प है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी गौरवशाली जड़ों से जोड़े रखेगी।

रणविजय रौशन
संपादन सहायक

समाचार पत्रों की नजर से...

दयानंद सरस्वती को नमन किया

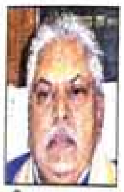

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने आर्य समाज के स्थापना दिवस के अवसर पर महान समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन किया है। कहा कि आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। उन्होंने 'वेदों की ओर लौटो' का संदेश देकर समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन प्रारंभ किया। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचार एवं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी समाज को सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं।

वाणिज्य प्रकोष्ठ ने दानवीर भामाशाह जयंती समारोह का किया आयोजन

भामाशाह के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाएं युवा

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की

सीएम ने लोकतंत्र की शक्ति को पुनः स्थापित किया : प्रेम

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विस में विश्वास मत प्राप्त कर लोकतंत्र की शक्ति को पुनः स्थापित किया है। यह केवल एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की जीत है। यह विश्वास मत उनके द्वारा मंत्री, उपमुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री के रूप में किए गए कार्यों निर्णयों, नेतृत्व, नीतियों और जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अध्यक्ष ने सदस्यों को आसन से संबोधित करते हुए कहा कि हम आशा करते हैं कि उनके नेतृत्व में बिहार निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

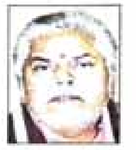

नारी वंदन अधिनियम सशक्त भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम : डा. प्रेम कुमार

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नारी वंदन अधिनियम का स्वागत करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाओं को विधानसभाओं एवं संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे यह अधिनियम मूर्त रूप प्रदान करता है।

संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाना, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तीकरण के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लोकभवन में शुक्रवार को सीएम पद का शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी को बधाई देते विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार। • हिन्दुस्तान

सम्राट चौधरी का सीएम पद पर आसीन होना ऐतिहासिक

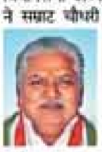

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने पर बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी को भी शुभकामनाएं दीं। कहा कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद पर आसीन होना राज्य के लिए नया और ऐतिहासिक अध्याय है। उनकी कर्मठता, दूरदर्शी नेतृत्व और प्रशासनिक सूझ-बूझ से बिहार को प्रगति, समृद्धि और सामाजिक न्याय के मार्ग पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की उम्मीद है। वहीं, लोजपा (रा) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी को बधाई दी। कहा कि उन्हें भरोसा है कि सभी मिलकर 'विकसित भारत' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य को समृद्ध, सशक्त और बेहतर बनाने में योगदान देंगे। इधर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने कहा कि भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का चयन राज्य के लिए नए अवसर लेकर आएगा।

अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा

मुख्यमंत्री ने किया विधान परिषद के अत्याधुनिक अतिथि निवास का शुभारंभ

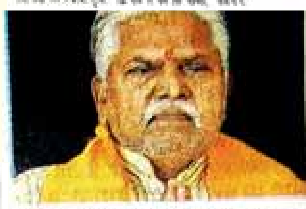

Samrat will do excellent work. In the times to come, he will work towards realising the vision of Bihar envisioned by the PM and Nitish Kumar— **Prem Kumar** | ASSEMBLY SPEAKER

विस अध्यक्ष ने श्रवण कुमार को दी बधाई

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने श्रवण कुमार जदयू विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आपके अनुभव, दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व एवं जनसेवा के प्रति समर्पण से सदन को लाभ पहुंचेगा।

संसदीय कामकाज की बदलती संस्कृति

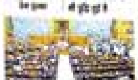

सदन सिर्फ बहुमत का मंच नहीं बल्कि जनआस्था का केंद्र भी है : प्रेम

घर-कार्यालय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है वास्तु : डा. प्रेम

अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न सम्मेलन के शव का विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार ने किया उद्घाटन

इन्हें किया गया सम्मानित

समाचार पत्रों की नजर से...

विधानसभा सत्र की तैयारी पर सर्वदलीय बैठक

सत्र के लिए विस अध्यक्ष ने 22 को बैठक बुलाई

विधानसभा का एक दिवसीय सत्र 24 अप्रैल को बुलाया गया है

पंचायती राज विकास की धुरी : प्रेम कुमार

पटना. विधानसभा के अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कहा कि यह दिन भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना को चिह्नित करता है, जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. उन्होंने कहा कि 1993 में संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था. पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाने की घोषणा 24 अप्रैल, 2010 को की गयी थी.

स्पीकर ने 'स्वगणना' में खुद को पंजीकृत किया

पटना. विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास स्थित आवासीय कार्यालय में "स्वगणना" में खुद को पंजीकृत किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्व गणना समाज के प्रत्येक वर्ग की वास्तविक स्थिति को समझने एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है.

विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होने पर बधाई व शुभकामनाएं दी हैं. अध्यक्ष ने कहा कि हरिवंश की पत्रकारिता क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रही है.

बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी: विस अध्यक्ष

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सम्राट चौधरी के बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही, बिजेन्द्र प्रसाद यादव एवं विजय चौधरी को भी उपमुख्यमंत्री के दायित्व ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी है। बिजेन्द्र प्रसाद यादव एवं विजय कुमार चौधरी भी अपने वर्षों के अनुभव एवं निष्ठा से मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बिहार के सर्वांगीण विकास एवं जनकल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बिहार पिट्टू टीम उम्दा प्रदर्शन करेगी: प्रेम

चैम्पियनशिप का आयोजन तीन से छह मई तक सूरत में होगा

डॉ. प्रेम कुमार ने किया राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत

डॉ. प्रेम कुमार ने सम्राट चौधरी को दी बधाई

विस अध्यक्ष ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी

पटना। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में उनकी दूरदर्शी दक्षता और सृजनशीलता से ही भारतीय लोकतंत्र की मूल धरोहर ने मूर्त रूप लिया। उनका संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय, समानता, शोषितों-वंचितों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा।

गूंजती रहेगी आशा भोसले की आवाज : प्रेम

पटना। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भारतीय संगीत की महान साधिका और प्रख्यात पार्श्वगायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि आशा जी का निधन भारतीय संगीत एवं समस्त संगीत प्रेमियों के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके अमर गीतों में उनकी ... पर सदा-सदा के लिए गूंजती रहेगी।

जानकी नवमी सांस्कृतिक मूल्यों को रेखांकित करता है

विस अध्यक्ष प्रेम कुमार ने दी जानकी नवमी की बधाई

स्पीकर ने दी सीएम, विजय एवं बिजेंद्र को दी बधाई

पटना (आससे)। विधान सभा अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार ने एनडीए विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी के बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर आत्मीय बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही, अध्यक्ष ने श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव एवं विजय कुमार चौधरी को भी उप मुख्यमंत्री के गरिमामय दायित्व-ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद पर आसीन होना बिहार के लिए एक नवीन एवं ऐतिहासिक अध्याय का शुभारम्भ है। मुख्यमंत्री के रूप में वे अपनी कर्मठता, दूरदर्शी नेतृत्व एवं प्रशासनिक सूझ-बूझ से बिहार को प्रगति, समृद्धि और सामाजिक न्याय के पथ पर नई ऊँचाइयों तक ले जाएँगे। उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव एवं विजय कुमार चौधरी भी अपने वर्षों के अनुभव एवं निष्ठा से मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बिहार के सर्वांगीण विकास एवं जनकल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

समाचार पत्र समाज का दर्पण और लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ है: डॉ प्रेम कुमार

समय तू धीरे–धीरे चल

विलोक रंजन
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
बिहार विधान सभा

समय तू धीरे–धीरे चल,
मैं आगे, तू पीछे–पीछे चल ।
समय तू धीरे–धीरे चल ।
मैं जीवन–पथ में, पिछड़ रहा हूँ,
कर्त्तव्य–विघ्नों से, लड़ रहा हूँ,
ठेस मुझे जब लगती है तो, मैं जाता सम्हल
समय तू धीरे–धीरे चल ।
चाहत मेरी आगे जाने की,
लौट न वापस फिर आने की,
तेरे पद–चिन्हों पे चलकर, मैं जाऊँ आगे निकल ।
समय तू धीरे–धीरे चल ।
हतप्रभ हूँ तेरे मायाजाल से,
कभी मृदु, कभी महाविकराल से,
सुख–दुःख के द्वन्द्व में फंसकर, रह जाता विह्वल ।
समय तू धीरे–धीरे चल ।
मेरी परिकल्पना रंग लायेगी,
मेरे संग तुझको भी भायेगी,
एक दिन तुझे बदल दूँगा मैं, आज नहीं तो कल ।
समय तू धीरे–धीरे चल ।
मेरे अंतर्मन की यही याचना,
तू संकट मोचक बन यही प्रार्थना,
मेरी विपदा को सुखदा में, तत्क्षण तू बदल ।
समय तू धीरे–धीरे चल ।

जीवन में ज्योति जगा दे...

नन्द किशोर सिंह
संपादन सलाहकार

जीवन में ज्योति जगा दे,
देवी मंदिर आज सजा दे,
आतुर मन प्यासे युग लोचन,
श्रवणातुर चंचल सुधि उन्मन,
दरश दिखा मादक नयनों से
करूणा स्रोत बहा दे,
जीवन में ज्योति जगा दे...
युग–युग से छलता आया हूँ,
कांटों में पलता आया हूँ,
जीवन को सिता आया हूँ,
सित वसने उर के गागर से
सुधा–स्नेह छलका दे,
जीवन में ज्योति जगा दे...
हर घट में करूणा जल भर दे,
हर उर को आलोकित कर दे।
कंठ–कंठ पर मधुर गीत बन,
गुँजू वो झंकार बना दे,
जीवन में ज्योति जगा दे।
देवी मंदिर आज सजा दे।

इंडिया इनोवेट्स, 2026

"इंडिया इनोवेट्स, 2026" का सफलतापूर्वक आयोजन मार्च, 2026 को नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर हैकथॉन में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा डॉ० प्रेम कुमार ने कहा कि भारत आज केवल एक देश नहीं, बल्कि एक उभरती हुई शक्ति है, जो नवाचार, तकनीक और युवा शक्ति के बल पर विश्व मंच पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। "टीम इंडिया" का अर्थ है–130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ताकत, जिसमें किसान, वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्यमी और हमारे युवा सभी शामिल हैं।

"टीम इंडिया" की ताकत उसकी विविधता में है। अलग–अलग भाषाएं, संस्कृतियां और विचार इन्हीं से नए–नए आइडियाज जन्म लेते हैं। अगर हम हर दिन कुछ नया सोचें, कुछ नया करें और देश के लिए योगदान दें, तो कोई भी शक्ति हमें विकसित भारत बनने से नहीं रोक सकती।

भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार होगा, जब हम नवाचार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आज स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। छोटे–छोटे विचार बड़े बदलाव ला रहे हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। हमारे युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी में नए–नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। यह सब "टीम इंडिया" की एकजुटता और नवाचार की सोच का परिणाम है। नवाचार केवल तकनीक तक सीमित नहीं है। यह सोच में बदलाव है, समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता है। जब एक किसान नई खेती की तकनीक अपनाता है, जब एक छात्र नए तरीके से सीखता है, जब एक शिक्षक नए तरीके से पढ़ाता है – तभी असली नवाचार होता है।

उन्होंने प्रतिभागियों से एक ऐसे भारत के निर्माण की अपील की, जो आत्मनिर्भर, नवाचारी और विश्व में अग्रणी हो।

राजीव रंजन
शोध संदर्भ सहायक

दानवीर भामाशाह जयंती समारोह

दानवीर, वीर योद्धा, कुशल सेनापति और मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप के परम सहयोगी भामाशाह के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाए युवा : डॉ० प्रेम कुमार

दिनांक–29 अप्रील, 2026 बुधवार को वीरचंद पटेल पथ स्थित रवींद्र भवन में दानवीर भामाशाह जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार ने अतुल्य दानशीलता त्याग और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक, वीर योद्धा, कुशल सेनापति और मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप के परम सहयोगी भामाशाह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए स्मरण किया।

माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार ने कहा कि भामाशाह के त्याग और बलिदान की भावना आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। युवाओं को भामाशाह के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सरावगी ने भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करते हुए कहा कि दानवीर भामाशाह भारतीय सस्कृति में त्याग, समर्पण और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक है।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो. (डॉ.) जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता जी ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन मनु चौधरी ने किया। इस मौके पर माननीय पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, माननीय सांसद डॉ० भीम सिंह, माननीय पूर्व मंत्री (तत्कालीन) माननीय श्री रामकृपाल यादव, माननीय श्री मंगल पाण्डेय, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री रामेश्वर चौरसिया सहित अन्य गणमाण्य महानुभावों ने भी भामाशाह के चित्र पर माल्यार्पण किया।

विनोद कुमार प्रभाकर
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

रामनवमी शोभा–यात्रा

27 मार्च, 2026 का दिन पटना के ऐतिहासिक डाकबंगला चौराहा रामनवमी के अवसर पर भक्ति और भव्यता का केंद्र बना। **''श्री श्री रामनवमी शोभायात्रा अभिनन्दन समिति''** की ओर से डाकबंगला चौराहा पर शोभायात्रा कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलित करते हुए माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा.) श्री सैयद अता हसनैन, नागालैंड के माननीय राज्यपाल श्री नन्दकिशोर यादव, माननीय मुख्यमंत्री (तत्कालीन) श्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री (तत्कालीन) श्री सम्राट चौधरी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन, बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार, केन्द्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह, माननीय मंत्री (तत्कालीन) श्री विजय कुमार चौधरी, बिहार सरकार के माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पाण्डेय एवं अन्य मंत्रीगण तथा गणमान्यों ने किया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से

निकली 55 भव्य शोभायात्राओं का संगम यहाँ हुआ, जिन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन ने स्मृति चिन्ह और पाग भेंट कर सम्मानित किया। रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले श्री अरुण गोविल की उपस्थिति ने उत्सव का उत्साह दोगुना कर दिया। विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने इस आयोजन को आपसी सद्भाव और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बताया। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ और जय श्रीराम के जयघोष से पूरी राजधानी गुंजायमान रही। शहर में 55 शोभायात्राएं निकाली गयी, जिनमें आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पुष्पवर्षा, झांकी, शोभायात्रा, ध्वज और जय श्री राम, जय हनुमान के उद्घोष से सारा शहर गूंजता रहा।

नेहा भारती
प्रशाखा पदाधिकारी

बिहार गौरव महोत्सव

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित शंकरलाल हॉल में दिनांक 09 अप्रील, 2026 को बिहार गौरव महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बिहार विधान सभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार ने बिहार को भारत की आत्मा का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि नालंदा व विक्रमशिला जैसी प्राचीन संस्थाओं ने विश्व को ज्ञान की अनमोल विरासत दी है। समारोह में बुद्ध, महावीर और सम्राट अशोक की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ–साथ डा. राजेंद्र प्रसाद व जयप्रकाश नारायण के योगदान को याद कर युवाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। इस दौरान बिहार की सांस्कृतिक विविधता, मधुबनी पेंटिंग, भोजपुरी, मैथिली व मगही कार्यक्रमों का भव्य प्रदर्शन हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे समेत कई गणमान्य मौजूद रहे।

'बौद्ध शिक्षा समाज के लिए वरदान'
विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, वैशाली में दिनांक 03 एवं 04 अप्रील, 2026 को ''बौद्ध शिक्षा समाज के लिए वरदान'' विषय पर दो–दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि, बिहार विधान सभा अध्यक्ष, डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बौद्ध शिक्षा मानवता को दिशा देने का माध्यम है। वर्तमान समय में जब समाज विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब भगवान बुद्ध के विचार हमें शांति, करूणा और सह–अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में 'अल्ट्राटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' का उद्घाटन भी किया। कुलपति प्रो. समित तिवारी ने बौद्ध शिक्षा को जीवन जीने की वैज्ञानिक पद्धति बताया। वहीं, कुलसचिव प्रो. ब्रिजेश सिंह और लुंबिनी (नेपाल) से आए अंतरराष्ट्रीय वक्ता डॉ. दयाराम गौतम एवं डॉ. भिख्खू सिरी वाजिरा ने भी बौद्ध दर्शन के नैतिक व वैश्विक महत्व पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए।

राकेश कुमार
प्रशाखा पदाधिकारी

गयाजी जिला अतिथि गृह सभागार में उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित ''हुनर भी रोजगार भी ''कार्यक्रम के अंतर्गत जोगीरा वेबसाइट का शुभारंभ, दिनांक–06 मार्च, 2026 को डॉ० प्रेम कुमार माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल युवाओं के कौशल को नई पहचान देने के साथ–साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाने की दिशा में यह प्रयास सराहनीय है।

दिनांक 13 अप्रैल, 2026 को 02 देशरत्न मार्ग स्थित परिसर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेदकर जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ० भीमराव अम्बेदकर का जीवन, संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित रहा है। उन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का जो संकल्प लिया, वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।

एमिटी यूनिवर्सिटी पटना द्वारा आयोजित "एमिटी यूथ कॉन्क्लेव मॉडल यूनाइटेड नेशंस 2026 (एवाईसीएमयूएन 26)" कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष डॉ० प्रेम कुमार ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि युवा साथियों की ऊर्जा, विचारों की गहराई और वैश्विक मुद्दों पर उनकी समझ देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस तरह का मंच युवा नेतृत्व, संवाद और जनसमस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

दिनांक–23 अप्रील, 2026 को गया जी में विजयोत्सव स्मारक समिति द्वारा आयोजित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा रणबांकुर बाबू वीर कुंवर सिंह जी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, डॉ० प्रेम कुमार शामिल हुए तथा बाबू वीर कुंवर सिंह जी के वीरता और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को नमन करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया।

दिनांक 05 अप्रील, 2026 को बापू टावर, पटना में आयोजित महादेवी स्मृति सम्मान समारोह में शामिल माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा डॉ० प्रेम कुमार, साथ में तत्कालीन माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, माननीय राजीव रंजन प्रसाद जी एवं अन्य गणमान्य।

दिनांक 06 अप्रील, 2026 को बिहार विधान परिषद् अतिथिशाला के शिलापट्ट का अनावरण करते हुए तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार साथ में माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् श्री अवधेश नारायण सिंह, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा डॉ० प्रेम कुमार, तत्कालीन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी।

अठारहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के दौरान माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा से भेंट करते हुए नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव।

बिहार विधान सभा की मासिक पत्रिका विधान प्रबोधिनी मार्च–2026 ''विशेषांक'' का विमोचन करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा साथ में माननीय उपाध्यक्ष, श्री नरेन्द्र नारायण यादव, संयुक्त निदेशक, श्री संजय कुमार सिंह एवं सम्पादक मण्डल के सदस्यगण।

दिनांक 25 से 27 मार्च 2026 को पूर्वी चंपारण के कोटवा स्थित गांधी ग्राम जसौली पट्टी में आयोजित त्रिदिवसीय 'चंपारण सत्याग्रह महोत्सव' में बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने चंपारण की ऐतिहासिक धरती को नमन करते हुए कहा कि यह भूमि संस्कृति, संघर्ष और संकल्प का जीवंत प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय ने जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया चंपारण सत्याग्रह केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि भारत की चेतना का जागरण था।

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिहार विधान सभा के अध्यक्षीय कार्यालय में माननीय अध्यक्ष, डॉ प्रेम कुमार से शिष्टाचार भेंट की। डॉ. प्रेम कुमार द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। इस सार्थक संवाद के दौरान विधान सभा की कार्यप्रणाली और समकालीन राजनीतिक विषयों पर सकारात्मक चर्चायें हुई।

पटना में दीघा के पाटीपुल घाट पर आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत त्रिवेणी संगम देखने को मिला। सूर्य एवं शनि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत, महागंगा आरती सेवा समिति के तत्वावधान में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और स्थानीय विधायक डॉ. संजीव चौरसिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए बिहार विधान सभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि माँ गंगा हमारी सभ्यता की जीवन–धारा हैं। उन्होंने माँ गंगा से प्रदेश की सुख–समृद्धि और शांति की मंगल कामना की।

भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया के आठवें दीक्षान्त समारोह का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करते हुए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा डॉ० प्रेम कुमार, साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेश–सह–सीईओ श्री आशीष कुमार चौहान एवं भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया के निदेशक प्रो० विनिता सहाय।

प्रभात कुमार, उप निदेशक (जनसम्पर्क)

बिहार विधान सभा सेन्ट्रल हॉल में एनडीए विधान मंडल दल की बैठक

एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने पर माननीय श्री सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री (तत्कालीन) श्री नीतीश कुमार

एनडीए विधायक दल को सम्बोधित करते हुए माननीय श्री सम्राट चौधरी

बिहार विधान सभा सेन्ट्रल हॉल में एनडीए गठबंधन की बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यगण

24 अप्रील 2026 को बिहार विधान सभा की कार्यवाही की तस्वीरें

विश्वास मत के दौरान सदन में विचार व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी

विश्वास मत के दौरान सदन में विचार व्यक्त करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव

विश्वास मत के दौरान सदन में विचार व्यक्त करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी

24 अप्रील 2026 को बिहार विधान सभा की कार्यवाही की तस्वीरें

राष्ट्रीय जनता दल की ओर से विश्वास मत पर विचार व्यक्त करते हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव

विश्वास मत का समर्थन करते हुए जनता दल (यू) विधायक दल के नेता माननीय श्री श्रवण कुमार

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर से विश्वास मत पर विचार व्यक्त करते हुए माननीय सदस्य श्री अजय कुमार

24 अप्रील 2026 को बिहार विधान सभा की कार्यवाही की तस्वीरें

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से विश्वास मत पर विचार व्यक्त करते हुए माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह

एआईएमआईएम की ओर से विश्वास मत पर विचार व्यक्त करते हुए माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईमान

आईआईपी की ओर से विश्वास मत पर विचार व्यक्त करते हुए माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता

बिहार दिवस, 2026 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

18वीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में निम्नलिखित जननायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई :–

सदस्य का नाम	निधन की तिथि
स्व० सतीश कुमार (पूर्व स.वि.स)	09 मार्च, 2026
स्व० सैयद गुलाम हुसैन (पूर्व स.वि.स)	09 मार्च, 2026
स्व० सियाराम यादव (पूर्व स.वि.स)	05 अप्रैल, 2026
स्व० राधिका देवी (पूर्व स.वि.स)	06 अप्रैल, 2026
स्व० मंसूर आलम (पूर्व स.वि.स)	20 अप्रैल, 2026

योग नगरी : मुंगेर विकास की नई उड़ान ....

- योग नगरी को **बिहार स्कूल ऑफ योगा** से विश्व स्तर पर पहचान मिली है .
- मुंगेर के समीप अंग ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी जो अत्याधुनिक सुविधा से युक्त होगी .
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत मोकामा-मुंगेर सेक्शन के 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है .
- मुंगेर के असरगंज में औद्योगिक विकास के लिए 466.49 एकड़ भूमि अधिग्रहण की मंजूरी .
- बिहार कैबिनेट की बैठक में इसके लिए ₹124.62 करोड़ की स्वीकृति .
- स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम .
- मरीन ड्राइव (गंगा पाथवे) मुंगेर से सुल्तानगंज तक गंगा पथ का निर्माण कार्य प्रस्तावित .

विधान प्रबोधनी

बिहार विधान सभा